THE CORE IAS

CALL +91-8800141518

PIB

JULY MONTH

THE CORE IAS

VISIT:- WWW.THECOREIAS.COM

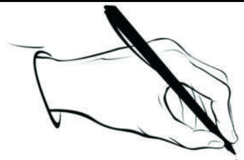

नमस्कार अभ्यर्थियो,

मुख्य परीक्षा 2018 की तैयारी चल रही होगी ,हमारे उत्तर लेखन कक्षा कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जो पहले से ही चयनित है सिविल सेवा में ,उन्हें भी उत्तर लेखन में व्यापक समस्या आती है ,तो जरा सोचिये जो कभी मुख्य परीक्षा नहीं लिखा है उन्हें कितनी समस्या होगी| हमने इसी के मद्देनजर अपने वेबसाइट www.thecoreias.com पर प्रतिदिन उत्तर लेखन के लिए सम्पादकीय आधारित प्रश्न दिए जाते है |पहले भी हम www.gshindi.com पर यह प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके है |

चुकि उत्तर लेखन अभ्यास की विषय वस्तु है और प्रश्न पत्र के अनुसार बदलता रहता है |इसके लिए एक वर्षीय और 500+ प्रश्न 50 दिनों में की कक्षा कार्यक्रम चल रहा है |

हिंदी साहित्य में भी 500+ प्रश्न की कक्षा कार्यक्रम अक्टूबर से प्रारंभ करेंगे,जिनमे पुरे पाठ्यक्रम को सहेजते हुए वर्तमान पद्धति पर हल किया जायेगा |

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2019 के लिए टेस्ट सीरीज का प्रारंभ अगले माह से होगा |

आपकी अपनी.....

TheCoreIAS Team

THE CORE IAS CLASS PROGRAMME

ANSWER WRITING 2019
THE HINDU PT +EDITORIAL BASED DISCUSSION CLASS

HINDI LITERATURE 500+ Q CLASS

GEOGRAPHY PAPER 2

PRELIMS / MAINS 2019 TEST SERIES

UPPSC/BPSC MAINS ANSWER WRITING

PRELIMS 2019 CURRENT AFFAIRS BATCH

INDEX	PAGE
PIB MAINS SPECIFIC	04-08
PIB PRELIMS SPECIFIC	09-20

The core ias magazine articles

Topic page 21		
Polity		
Programme &Schemes		
Geography, Environment& Ecology		
Science and Technology		
International Relation& International events		
National Issues		
Security issues		
Editorials		
Social issues		
Economy		
Governance/Ethics		
MISC		

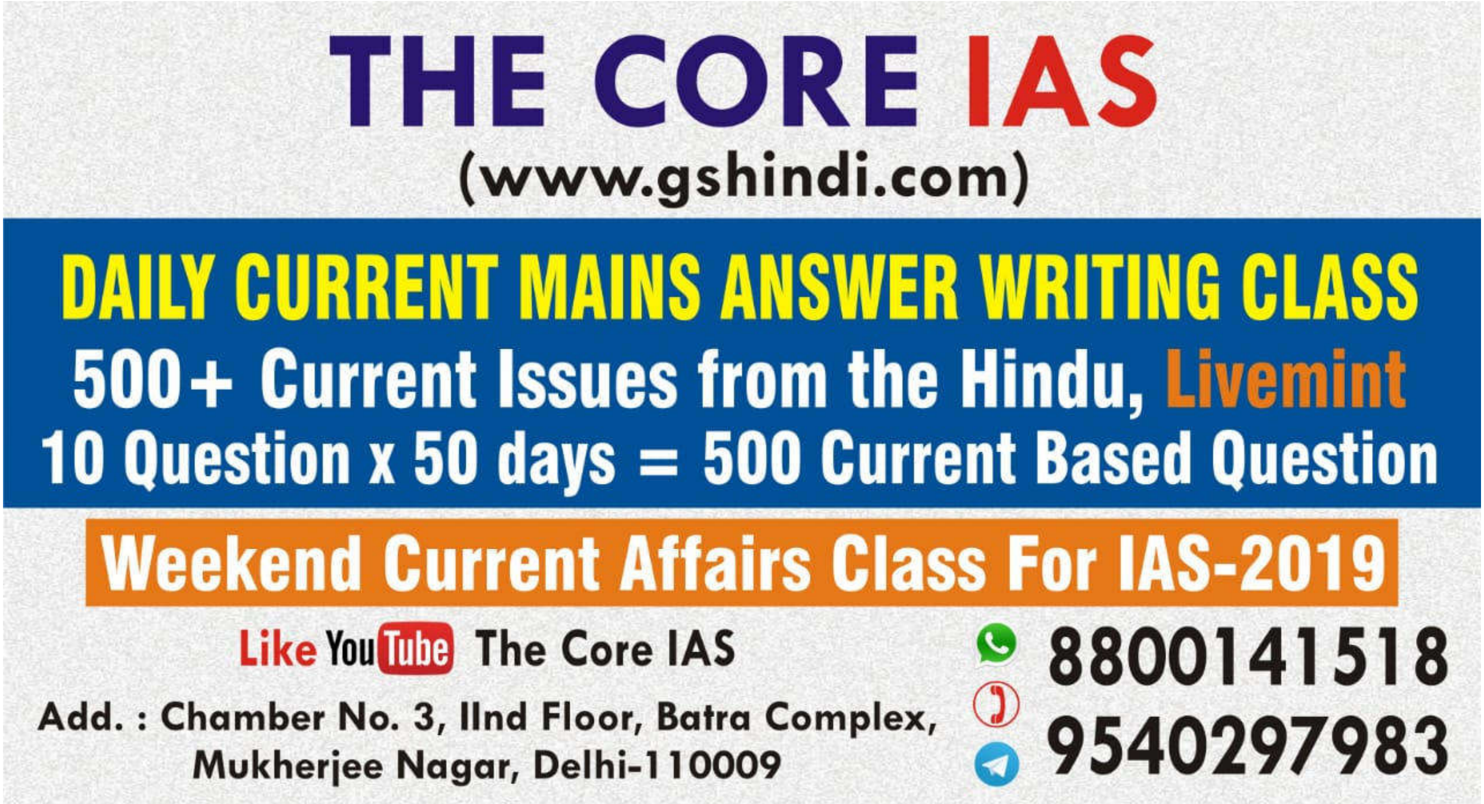

PIB MAINS SPECIFIC

GS PAPERI

GS PAPER II

THE CORE IAS GENERAL STUDIES HINDI

1. राष्ट्रपति को एनसीएसटी के अध्यक्ष ने “इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजाति” विषय पर आधारित विशेष रिपोर्ट सौंपी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार सांई, आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके तथा आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भेंट की और उन्हें “इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना से प्रभावित जनजाति” विषय पर आधारित विशेष रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट और इसमें की गई अनुशंसाएं, संविधान की धारा 338ए (5)(ई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण व उनके संवैधानिक सुरक्षा के प्रति उठाए गए कदमों को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने से संबंधित है।

आयोग ने 26 से 28 मार्च, 2018 को आंध्र प्रदेश स्थित पोलावरम सिंचाई परियोजना का भ्रमण किया ताकि परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोगों के पुनर्वास का मौके पर आकलन किया जा सके। आयोग ने परियोजना से प्रभावित लोगों से बातचीत की और संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श

किया। आयोग ने 28 मार्च, 2018 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी विचार-विमर्श किया। इसके बाद एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई और इसे 3 जुलाई, 2018 को राष्ट्रपति को सौंपी गयी। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं निम्न हैं :

1. परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोगों से बातचीत के दौरान आयोग को यह जानकारी मिली कि अधिगृहीत जमीन के बदले में उन्हें जो जमीन मिली है वह कृषि योग्य नहीं है। या तो जमीन पथरीली है या पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए आयोग की अनुशंसा है कि राज्य सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमांड एरिया में पीडीएफ/पीएफ को राज्य सरकार केवल वही जमीन दे जो कृषि योग्य हों और जहां सिंचाई की सुविधा हो।
2. आयोग ने यह पाया कि बहुत से भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोग भी विस्थापित हुए हैं। पहले वे लघु वन उत्पाद संग्रह करके अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी आजीविका के साधन अब खत्म हो गए हैं। राज्य सरकार को उन्हें आजीविका के अन्य स्रोत उपलब्ध कराना चाहिए।
3. जब आयोग इद्दीकुलाकोट्टा गांव पहुंचा तो वहां ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि अचानक आई बाढ़ से उनके नवनिर्मित घर नष्ट हो गए हैं और अब तक इन घरों का पुनःनिर्माण नहीं किया गया है। आदिवासी लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए इन घरों का राज्य सरकार के द्वारा जल्द से जल्द पुनःनिर्माण किया जाना चाहिए।
4. पोलावरम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में मुआवज़ा की राशि को पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष अनुमति याचिका, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड बनाम मथायस ओरम व अन्य (एसएलपी) नंबर-6933/2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आयोग मानता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत इसी तरह की योजना पोलावरम सिंचाई परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी लागू की जानी चाहिए।
5. जनजातीय लोगों को मुआवजा देते समय अधिकतम सीमा तक "भूमि के बदले भूमि" देने की नीति का पालन किया चाहिए। इस संदर्भ में जनजातीय लोगों को 2.5 एकड़ भूमि छोड़नी चाहिए और उन्हें पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के भीतर इसके बराबर या कम से कम 2.5 एकड़ जमीन प्रदान की जानी चाहिए।
6. पुनर्वास कॉलोनियों में उनकी पात्रता के अतिरिक्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, एम्स के समान मेडिकल कॉलेज, कला और संगीत अकादमियों/केंद्रों की स्थापना जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर आवश्यक हो तो ऐसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार को खरीद के माध्यम से पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना चाहिए।
7. राज्य सरकार को विचार करना चाहिए कि संपूर्ण पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) कार्य की जिम्मेदारी पुनर्वास और पुनर्स्थापना आयुक्त द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के साथ-साथ एकल बिंदु के माध्यम से निभाई जाए, जबकि वास्तविक कार्यान्वयन अन्य विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।
8. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जलमग्न होने या परियोजना शुरू होने अथवा उनके विस्थापन, जो भी पहले हो, इससे कम से कम चार महीने पहले पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्य पूरा हो और परियोजना से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया जाए।
9. राज्य सरकार को विस्थापित परिवारों को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए पुनर्वास क्षेत्र के आस-पास औद्योगिक परिसंपत्ति/केन्द्र विकसित करने पर विचार करना चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार को इस औद्योगिक परिसंपत्ति को 10 वर्ष के लिए कर मुक्त

THE CORE IAS

घोषित करने पर विचार करना चाहिए। एक शर्त होनी चाहिए कि केवल पोलावरम सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को ही इस औद्योगिक परिसंपत्ति में गैर-प्रबंधकीय रोजगार दिया जाएगा।

10. आयोग को अंदेशा है कि बांध परियोजना पूर्ण होने और प्रभावित लोगों को नए स्थानों पर भेजने के बाद संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ऐसे में यह हो सकता है कि पुनर्वासित लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और वे किसी संस्थागत सहायता के बगैर वे स्वयं संघर्ष करने के लिए मजबूर हों। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि परियोजना पूर्ण होने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए विकास संबंधी कार्यों और अन्य कल्याण उपायों की निगरानी के लिए पुनर्वास क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिकारियों का एक समर्पित दल तैनात किया जाना चाहिए।

GS PAPER III

THE CORE IAS

1. WIPO कॉपी राइट संधि 1996 और विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि 1996 के प्रस्ताव को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विपो कॉपी राइट संधि तथा विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपी राइट भी शामिल हैं। 12 मई, 2016 को सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) में उल्लिखित उद्देश्य की दिशा में यह मंजूरी एक महत्त्वपूर्ण कमद है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्य प्राप्त करना है। इसके लिए ईपीआर के मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अवसरों के संबंध में दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ:

ये संधियां निम्न तरीकों से भारत की मदद करेंगी:-

- अंतर-राष्ट्रीय कॉपी राइट प्रणाली के जरिए रचनात्मक अधिकार धारकों को उनके श्रम का मूल्य प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों के उत्पादन और उनके वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्त होगा।
- घरेलू कॉपी राइट धारकों को अंतर-राष्ट्रीय कॉपी राइट की सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दूसरे देशों में प्रतिस्पर्धा में समान अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि भारत विदेशी कॉपी राइट को मान्यता देता है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक उत्पादों के निर्माण और वितरण में किए जाने वाले निवेश पर लाभ प्राप्त होगा और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- व्यापार में वृद्धि होगी और एक रचना आधारित अर्थव्यवस्था तथा एक सांस्कृतिक परिदृश्य का विकास होगा।

पृष्ठभूमि:

कॉपी राइट अधिनियम- 1957

- मार्च, 2016 में कॉपी राइट अधिनियम-1957 को डीआईपीपी को स्थांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात् कॉपी राइट अधिनियम-1957 की डब्ल्यूसीटी और डब्ल्यूपीपीटी के प्रति संगतता विषय पर अध्ययन किया गया। विपो के साथ एक संयुक्त अध्ययन भी किया गया।
- 2012 में कॉपी राइट अधिनियम-1957 में संशोधन किया गया ताकि इसे डब्ल्यूसीटी और डब्ल्यूपीपीटी के अनुरूप बनाया जा सके। इसकी परिभाषा में भी संशोधन किया गया। जन संचार की परिभाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया (खण्ड -2 एफएफ), सुरक्षा के उपाय (खण्ड -65ए), अधिकार प्रबंधन जानकारी (खण्ड -65 बी), कलाकारों के नैतिक अधिकार (खण्ड -38बी), कलाकारों के विशेष अधिकार (खण्ड -38ए), इलेक्ट्रानिक माध्यमों में सुरक्षित उपस्थ्िाति के प्रावधान (खण्ड -52-1-बी-सी)।
- विपो कॉपी राइट संधि 6 मार्च, 2002 में लागू हुई थी। 96 पक्षों ने इसे अपनाया है। बर्न सम्मेलन में एक विशेष समझौते के जरिए साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं को सुरक्षा दी गयी है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कॉपी राइट सुरक्षा पर आधारित प्रावधान शामिल हैं।
- विपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि 20 मई, 2002 को लागू हुई थी और इसके 96 सदस्य हैं। डब्ल्यूपीपीटी दो प्रकार के कॉपी राइट अधिकारों की रक्षा करता है- क) कलाकार (प्रदर्शन करने वाले गायक, संगीतकार आदि) ख) ध्वनि रिकार्ड करने प्रोड्यूसर। यह कलाकारों को विशेष आर्थिक अधिकार देता है।
- दोनों ही संधियां रचनाकारों को तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करते हुए रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए फ्रेम वर्क उपलब्ध कराता है। रचनाओं का उपयोग करने से संबंधी जानकारियों को सुरक्षित रखता है। तकनीकी सुरक्षा उपायों की सुरक्षा (टीपीएम) और अधिकार प्रबंधन जानकारी (आरएमआई)।

2. डीएनए प्रौद्योगिकी -विधेयक विनियमन (अनुप्रयोग एवं उपयोग)2018

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है।

विवरण:

- 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक' को कानून बनाए जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है।
- आपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता दुनियाभर में स्वीकृत है।
- डीएनए प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन एवं विनियमन के प्रावधान के जरिए इस विधेयक में इस प्रौद्योगिकी का देश में विस्तारित उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इस बात का भी भरोसा दिलाया गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम भरोसेमंद हो और नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के लिहाज से डाटा का दुरुपयोग न हो सके।
- त्वरित न्याय प्रणाली
- अपराध सिद्धि दर में बढ़ोतरी
- विधेयक के प्रावधान एक तरफ गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों की परस्पर मिलान करने में सक्षम बनाएंगे, दूसरी तरफ बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

THE CORE IAS

पृष्ठभूमिः

फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधो के समाधान में स्पष्ट महत्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है। 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक है। इनमें से केवल बहुत छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है। उम्मीद है कि अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।

3. **पिछले 4 वर्षों के दौरान पर्यटन क्षेत्र द्वारा 14.62 मिलियन रोजगार सृजित हुआ**

- पिछले 4 वर्षों के दौरान अकेले पर्यटन क्षेत्र द्वारा देश कुल 14.62 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हुए।
- पर्यटन क्षेत्र कुशल के साथ-साथ अकुशल क्षेत्र में नौकरी तलाशने वाले लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है

4. अफ्रीका के साथ भारत का सहयोग 10 सिद्धांतों से निर्देशित

- एक, अफ्रीका हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होगा। हम अफ्रीका के साथ सहयोग बढाना जारी रखेंगे और हमने दिखाया है कि यह सहयोग सतत और नियमित होगा।
- दो, हमारी विकास साझेदारी आपकी प्राथमिताओं से निर्देशित होगी। आपकी अनुकूल शर्तों पर हमारी साझेदारी होगी जो आपकी क्षमता को मुक्त बनायेगी और आपके भविष्य को बाधित नहीं करेगी। हम अफ्रीकी योग्यता और कुशलता पर निर्भर करेंगे। हम स्थानीय क्षमता निर्माण के साथ – साथ यथा संभव अनेक स्थानीय अवसरों का सृजन करेंगे।
- तीन, हम अपने बाजार को मुक्त रखेंगे और इसे सहज और अधिक आकर्षक बनायेंगे ताकि भारत के साथ व्यापार किया जा सके। हम अफ्रीका में निवेश करने के लिए अपने उद्योग को समर्थन देंगे।
- चार, हम अफ्रीका के विकास को समर्थन देने के लिए, सेवा देने में सुधार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ के सुधार के लिए, डिजिटल साक्षरता विस्तार के लिए, वित्तीय समावेश के विस्तार के लिए और वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए डिजिटल क्रांति के भारत के अनुभवों का दोहन करेंगे।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ही नहीं होगा बल्कि डिजिटल युग में अफ्रीका के युवाओं को लैस करने के लिए भी होगा।
- पांच, अफ्रीका में विश्व की 60 प्रतिशत भूमि उपजाऊ है। लेकिन विश्व उत्पादन में अफ्रीका की हिस्सेदारी केवल 10 प्रतिशत है हम अफ्रीका की कृषि में सुधार के लिए आपके साथ काम करेंगे।
- छह, हमारी साझेदारी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान के लिए होगी। हम अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए और स्वच्छ तथा सक्षम ऊर्जा संसाधनों को अपनाने के लिए अफ्रीका के साथ काम करेंगे।
- सात, हम आतंकवाद और चरमपंथ का मुकाबला करने, साईबर स्पेस को सुरक्षित रखने तथा शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र को समर्थन देने में अपने सहयोग और पारस्परिक क्षमताओं को मजबूत बनायेंगे।
- आठ, हम समुद्रों को मुक्त रखने और सभी देशों के लाभ के लिए अफ्रीकी देशों के साथ काम करेंगे। अफ्रीका के पूर्वी तटों तथा हिंद महासागरों के पूर्वी तटों में विश्व को सहयोग की आवश्यकता है न

THE CORE IAS

कि स्पर्धा की। इसीलिए हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत का विजन सहयोग और समावेश का है। इसका मूल क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है।

- नौ, यह मेरे लिए विशेष रूप् से महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में वैश्विक सहयोग में वृद्धि को देखते हुए हम सब को एक साथ काम करना होगा ताकि अफ्रीका एक बार फिर प्रतिद्वंदी आकांक्षाओं के अखाड़े के रूप में न बदले बल्कि अफ्रीकी युवा की आकाक्षाओं के लिए नर्सरी बने।
- दस, भारत और अफ्रीका ने एक साथ औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध लडाई लड़ी है, इसलिए हम वैसी न्यायोचित,प्रतिनिधि मूलक तथा लोकतांत्रित व्यवस्था के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे जिसमें अफ्रीका और भारत में रहने वाली एक तिहाई मानवता की आवाज और भूमिका हो। वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए अफ्रीका के समान स्थान के बिना भारत की सुधार इच्छा अधूरी होगी। यह हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा

PRELIMS

1. मोबाइल ऐप "सीविजिल"

- चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए "सीविजिल" ऐप
- यह ऐप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहां चुनाव की घोषणा की गई है। लेकिन, ऐप का बीटा वर्जन लोगों तथा चुनाव कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
- "सीविजिल" चुनाव वाले राज्यों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। यह अनुमति निर्वाचन घोषणा की तिथि से प्रभावी होती है और मतदान की एक दिन बाद तक बनी रहती है। नागरिक इस ऐप का इस्तेमाल करके कदाचार की घटना देखने के मिनट भर में घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
- जागरूक नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक तस्वीर क्लिक करनी है या अधिक से अधिक दो मिनट की अवधि की वीडियो रिकॉर्ड करनी है।

Feature to check misuse

- इस ऐप में दुरुपयोग रोकने की अंतरनिहित विशेषताएं हैं। यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है। तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए पांच मिनट का समय मिलेगा। किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐप पहले से रिपोर्ट किए गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। इस ऐप में "सीविजिल" ऐप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी। यह ऐप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।
- अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर फौरी कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके कारण उल्लंघनकर्ता कार्रवाई से बच जाते हैं। शिकायत के सत्यापन में तस्वीर या वीडियो के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी भी बाधा थी। मजबूत अनुक्रिया प्रणाली के आभाव में घटना स्थल की त्वरित और सटीक पहचान भौगोलिक स्थान विवरण की सहायता से

नहीं की जा सकती थी। नया ऐप इन सभी खाईयों को पाटेगा और फास्ट प्राप्ति शिकायत ट्रैक-बनाएगा प्रणाली समाधान और

2. आईसीएटी ने प्रथम बीएस-VI इंजन प्रमाण पत्र जारी किया

आईसीएटी ने मेसर्स वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के लिए भारी-भरकम इंजन मॉडल हेतु प्रथम बीएस-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया है। इस इंजन का निर्माण एवं विकास वोल्वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है। 01 अप्रैल, 2020 की क्रियान्वयन तिथि से काफी पहले ही इंजन के अनुपालन परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से इसे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए और ज्यादा मजबूत एवं किफायती बनाने की दृष्टि से उत्पाद स्थिरीकरण के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

- भारत सरकार के अत्यंत सक्रिय रुख से देश के लिए पारंपरिक बीएस-IV के स्थान पर भारत में नियामकीय रूपरेखा के अगले स्तर के रूप में सीधे बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को अपनाना संभव हो गया है। बीएस-VI उत्सर्जन मानक अपने दायरे की दृष्टि से काफी व्यापक हैं और ये मौजूदा उत्सर्जन मानकों में व्यापक बदलावों को एकीकृत करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा स्वच्छ उत्पाद पेश करना अब संभव हो गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली नैट्रिप क्रियान्वयन सोसायटी (नैटिस) का एक प्रभाग है। आईसीएटी दरअसल राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के तहत स्थापित किये गये नवीन विश्वस्तरीय केन्द्रों में से पहला केन्द्र है। नैट्रिप का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास करने के साथ-साथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संगतता (होमोलोगेशन) सुविधाओं का विस्तार करना भी है।

THE CORE IAS

आईसीएटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है। यह केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत भारत में एक मान्यता प्राप्त 'टाइप अप्रूवल एंड होमोलोगेशन' एजेंसी के रूप में है।

आईसीएटी ऑटोमोटिव उद्योग के एक व्यापक प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है।

3. स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) और इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम

इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) कार्यक्रम :

- इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप (आईएससीएफ) कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषकर स्मार्ट सिटी और सामान्य रूप से शहरी नवीकरण क्षेत्र में इच्छुक युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करना है। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण शहरी समस्याओं के आधुनिक एवं व्यापक प्रभाव वाले समाधानों को क्रियान्वित करने के चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक कार्य में नए विचार, जुनून एवं ऊर्जा सुनिश्चित करेगा। यह कार्यक्रम युवा मार्गदर्शकों (लीडर) को तैयार करेगा, भारतीय शहरी क्षेत्र के बारे में उनकी समझ को मजबूत करेगा और भविष्य में ज्यादा बड़ी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उन्हें तैयार करेगा।

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के क्षेत्र में 30 युवा स्नातकों/स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों की सेवाएं 'स्मार्ट सिटी फेलो' के रूप में लेगा। इनकी सेवाएं लेने की अवधि एक साल होगी, जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकेगा। ये फेलो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में स्मार्ट सिटी के मिशन निदेशक के कार्यालय और/अथवा चयनित स्मार्ट सिटी के सीईओ को विश्लेषण, अनुसंधान, प्रलेखन, स्वतंत्र आकलन इत्यादि के क्षेत्र में आवश्यक प्रदान करेंगे।

इंडिया स्मार्ट सिटीज इंटर्नशिप (आईएससीआई) कार्यक्रम :

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय विभिन्न राज्यों/शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद हेतु स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएं 'इंटर्न' के रूप में लेगा। इंटर्नशिप के दौरान 6 से 12 हफ्तों तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन इंटर्न को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास के अनेक क्षेत्रों में आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी जिनमें शहरी नियोजन, शहरी डिजाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

THE CORE IAS

- इंटर्न दरअसल स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा होंगे और उन्हें मुख्यत: क्रियान्वयन/रिपोर्टिंग/आकलन एवं निगरानी/ज्ञान प्रबंधन/हितधारक सहभागिता/मीडिया तक पहुंच एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियां सौंपी जाएंगी, जैसा कि मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन) द्वारा उन्हें कार्य सौंपे जाएंगे।

4. 6 शैक्षणिक 'उत्कृष्ट संस्थान' घोषित किए; सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3 संस्थानों का चयन

- सरकार ने 6 उत्कृष्ट संस्थानों का चयन किया है, जिनमें से 3 संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र के और 3 संस्थान निजी क्षेत्र के हैं। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) ने अपनी रिपोर्ट में 6 संस्थानों (3 संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र से और 3 संस्थान निजी क्षेत्र से) का चयन 'उत्कृष्ट संस्थानों' के रूप में करने की सिफारिश की थी। इन संस्थानों का विवरण नीचे दिया गया है –
- सार्वजनिक क्षेत्र : (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।
- निजी क्षेत्र : (i) जियो इंस्टीट्यूट (रिलायंस फाउंडेशन) पुणे, ग्रीन फील्ड श्रेणी के तहत (ii) बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी, राजस्थान; और (iii) मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक।

5. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा ने 'कारोबार में सुगमता' के मामले में शीर्ष रैंकिंग हासिल की

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) **'कारोबार में सुगमता'** के मामले में राज्यों की अंतिम रैंकिंग जारी की। इस मामले में शीर्ष पायदान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं हरियाणा हैं। झारखंड और गुजरात ने इस मामले में क्रमश: चौथी एवं पांचवीं रैंकिंग हासिल की है।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीआईपीपी ने विश्व बैंक के सहयोग से 'कारोबार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)' के तहत समस्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक सुधार सर्वे किया। इस सर्वे का उद्देश्य दक्ष, प्रभावकारी एवं पारदर्शी ढंग से केन्द्र सरकार के विभिन्न नियामकीय कार्यकलापों एवं सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर करना है।

कारोबार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)'

- वर्ष 2017 तक सुधार योजना में शामिल कार्य बिन्दुओं की संख्या को 285 से बढ़ाकर 372 कर दिया गया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने श्रम, पर्यावरणीय मंजूरियों, एकल खिड़की प्रणाली, निर्माण परमिट, अनुबंध पर अमल, संपत्ति के पंजीकरण एवं निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में अपने नियम-कायदों एवं प्रणालियों को आसान बनाने के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पंजीकरण एवं मंजूरियों से जुड़ी समय सीमा पर अमल के लिए सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी अधिनियम लागू किया है।
- 'बीआरएपी 2017' के तहत वर्तमान आकलन एक संयुक्त स्कोर पर आधारित है जिसमें 'सुधार साक्ष्य स्कोर' और 'फीडबैक स्कोर' शामिल हैं। 'सुधार साक्ष्य स्कोर' राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपलोड किए गए साक्ष्यों पर आधारित है, जबकि 'फीडबैक स्कोर' विभिन्न व्यवसायों के लिए मुहैया कराई गई सेवाओं के वास्तविक इस्तेमालकर्ताओं (यूजर) से प्राप्त जानकारियों पर आधारित है।
- डीआईपीपी ने पहली बार फीडबैक लेने की शुरुआत की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू किए गए विभिन्न सुधार वास्तव में जमीनी स्तर पर पहुंच गए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं के 50,000 से भी अधिक यूजर्स में से चयन किए गए वास्तविक इस्तेमालकर्ताओं से आमने-सामने साक्षात्कार लेकर यह फीडबैक संग्रहीत किया गया। 372 सुधारों में से 78 सुधारों को इस सर्वे के लिए चिन्हित किया गया। 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में निजी क्षेत्र के 5000 से भी अधिक इस्तेमालकर्ताओं ने इस सर्वे के दौरान अपने-अपने अनुभव साझा किए जिनमें देश भर के 4300 कारोबारी एवं 800 वास्तुकार, वकील एवं विद्युत ठेकेदार शामिल हैं।
- भारत में 'कारोबार में सुगमता' के लिए राज्यों द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों ने अन्य देशों जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में भी इस मामले में दिलचस्पी काफी बढ़ा दी है जिससे यह साबित होता है कि कारोबारी एवं नियामकीय माहौल बेहतर करने के लिए इस तरह के सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

THE CORE IAS

6. 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018'

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
- सभी जिलों में 1 से 31 अगस्त, 2018 तक एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके नतीजों की घोषणा मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता के पैमानों के आधार सभी जिलों और राज्यों की रैंकिंग के रूप में की जाएगी। इस मामले में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को 2 अक्टूबर, 2018 को पुरस्कृत किए जाने की आशा है
- एसएसजी 2018' का उद्देश्य 'एसबीएम-जी' से जुड़े महत्वपूर्ण मात्रात्मक एवं गुणात्मक पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों की रैंकिंग करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत देशव्यापी संचार अभियान के जरिए ग्रामीण समुदायों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में बेहतरी लाने के कार्य से जोड़ा जाएगा।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 6980 गांवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गांवों के कुल 34,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, हार्ट/बाजार/धार्मिक स्थानों का मुआयना किया जाएगा। सीधी बातचीत के साथ-साथ ऑनलाइन फीडबैक के जरिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से जुड़े मुद्दों पर 50 लाख से भी अधिक नागरिकों से उनके फीडबैक को इकट्ठा किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के दौरान 65 प्रतिशत भारांक (वेटेज) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नतीजों को दिया गया है, जबकि 35 प्रतिशत भारांक सेवा क्षेत्र से जुड़े उन पैमानों को दिया गया है, जिन्हें पेयजल

एवं स्वच्छता मंत्रालय के आईएमआईएस से प्राप्त किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के विभिन्न अवयवों को भारांक निम्नलिखित रूप से होगा :

- सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन : 30 प्रतिशत
- स्वच्छता के पैमानों पर नागरिकों से प्राप्त फीडबैक : 35 प्रतिशत
- एसबीएमजी-एमआईएस के अनुसार देश में स्वच्छता में सुधार पर सेवा स्तरीय प्रगति : 33 प्रतिशत

7. बाणसागर नहर परियोजना

- ➢ यह परियोजना क्षेत्र में सिंचाई को काफी बढ़ावा देगी तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं इलाहाबाद जिलों किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी।
- ➢ बाणसागर परियोजना की अवधारणा लगभग चार दशक पहले बनाई गई थी और 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था लेकिन इस परियोजना में बेवजह काफी देरी होती गई।

8. दो वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना

THE CORE IAS

- ➢ भारत जुलाई, 2018 से जून, 2020 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है। डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को छह क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। छह क्षेत्र में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूसीओ परिषद में क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- ➢ डब्ल्यूसीओ के एशिया प्रशांत (एपी) क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनना भारत को नेतृत्व की भूमिका में सक्षम बनाएगा। उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के अवसर पर सोमवार, 16 जुलाई, 2018 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की साझीदारी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) द्वारा एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

9. सागरमाला पहल: विशाखापत्तनम में मेरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीइएमएस) में अत्याधुनिक प्रयोगशाला

- ➢ समुद्रीय और जहाज निर्माण के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पर्याप्त रूप से वित्त पोषित स्टार्टअप मेरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम में स्थित उसकी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं प्रशिक्षुओं के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
- ➢ यह सागरमाला कार्यक्रम के तहत जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत के लिए कौशल विकास की एक अहम पहल है। इसके जरिए छात्रों को जहाज निर्माण के क्षेत्र में कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा साथ ही इससे मेरीटाइम क्षेत्र में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।

10. भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला

➢ परियोजना के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस ले लिया गया है। वन्यजीव क्लीयरेंस और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए आवेदन जमा कर दिए गए हैं।

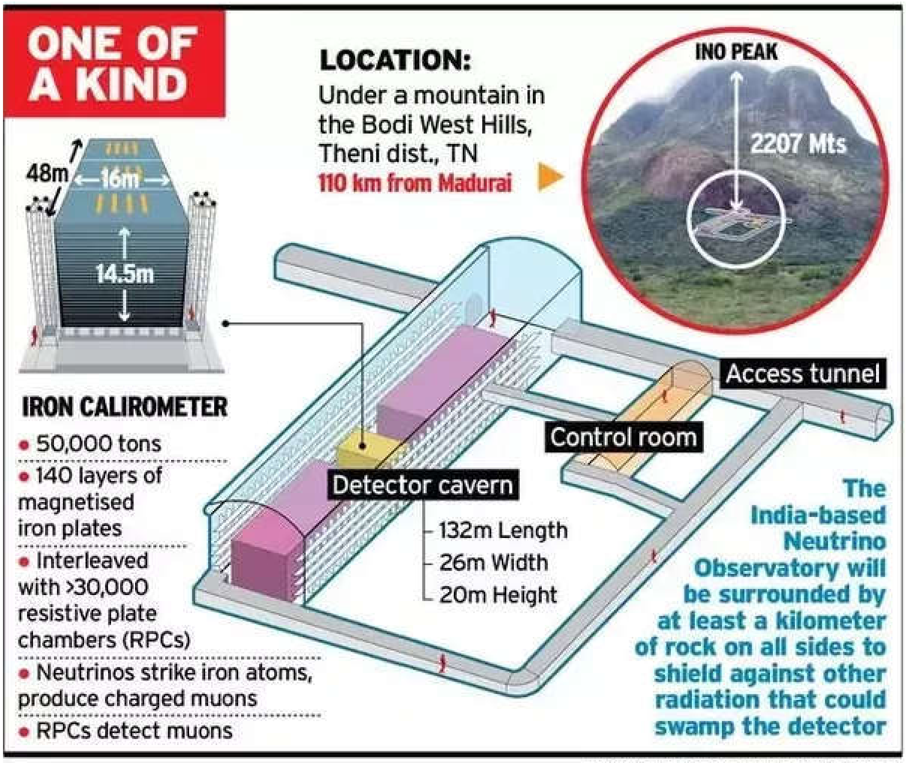

INFOGRAPHIC: PRATHAP RAVISHANKAR

➢ एक 85 टन प्रोटोटाइप मिनी-आईसीएएल डिटेक्टर निर्मित कर लिया गया है और वह मदुरै में आईआईसीएचईपी परिसर में काम कर रहा है।

➢ लगभग दो किलोमीटर लम्बी सुरंग और प्रयोगशाला गुफा की आवश्यकता है, जिसे नियंत्रित विस्फोट के इस्तेमाल से बनाया जाएगा। इसे तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। विस्फोट स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी तक कंपन स्वीकृत सीमा से अधिक नहीं होगा। यह स्वीकृत सीमा 1 एमएम/प्रति सेकेंड है। कंपन नगण्य स्तर तक होगा, जो 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाईगाई तथा मुल्लैपेरियार बांध पर कोई असर नहीं डालेगा। आस-पास के गांवों पर भी कंपन का कोई असर नहीं होगा। इन गांवों में वास्तव में कंपन को महसूस ही नहीं किया जाएगा। आईएनओ स्थल पर काम से किसी प्रकार की भूकंपीय गतिविधि नहीं होगी।

11. गुरूत्वाकर्षक तरंगों के अध्ययन के लिए वेधशाला

THE CORE IAS

➢ भारत सरकार ने अमरीका के एलआईजीओ प्रयोगशाला के सहयोग से लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेट्री – इंडिया (एलआईजीओ) के निर्माण और संचालन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

➢ अमेरिका में 2 लीगो वेधशालाओं की तरह यह तीसरा वेधशाला है।

➢ इस बारे में भारत के डीएई-डीएसटी और अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की ओर से 30.03.2016 को हस्ताक्षर किये गये। एलआईजीओ इंडिया वेधशाला का वर्ष 2024 में तैयार हो जाना निर्धारित है।

➢ इस परियोजना के लिए विभिन्न जगहों का सर्वेक्षण करने के बाद महराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक जगह का प्राथमिक तौर पर चुनाव किया गया और परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

12. वृहद जन सुगमता पहल

- भारतीय अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने जलमार्गों के जरिये संपर्क बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के संबंध में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर गंगा नदी के किनारे वृहद जन सुगमता पहल की शुरूआत की है

13. छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम लांच

यह कार्यक्रम स्कूली छात्रों की मदद से पुलिस और जन समुदाय के बीच सेतु बनाना चाहता है। यह कार्यक्रम 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों पर विशेष ध्यान देता है। छात्रों के कार्यभार में अधिक वृद्धि न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए कोई पाठ्यपुस्तक या किसी परीक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है। एक महीने में केवल एक पीरियड का प्रस्ताव दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यतः दो विषय वस्तुओं को शामिल किया गया है :

1. अपराध की रोकथाम और नियंत्रण
2. **मूल्य और नैतिकता**

- पहले हिस्से में निम्न विषयों को शामिल किया गया है- सामुदायिक पुलिस, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग में शामिल विषय हैं - मूल्य और नैतिकता, बुजुर्गों के लिए आदर, सहानुभूति और सहनशीलता, धैर्य, दृष्टिकोण, टीम भावना और अनुशासन।
- एनसीईआरटी के सहयोग से बीपीआरएंडडी ने एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। क्षेत्र आधारित कार्य तथा महिला पुलिस स्टेशन, बाल सुरक्षा गृह, ट्रैफिक पुलिस, फायरब्रिगेड स्टेशन जाकर कार्यशैली सीखने पर विशेष बल दिया गया है। समूह परिचर्चा तथा ऑडियो विजुअल माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को भी शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम को राज्य स्तरीय समिति नेतृत्व प्रदान करेगी। गृह विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।
- इसी प्रकार की एक समिति का गठन जिला स्तर पर भी किया जाएगा। जिलाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि स्कूल निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे।

THE CORE IAS

14. **स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ**

- भारत 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- देश में मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में 77 प्रतिशत की कमी आई है। यह दर 1990 में प्रति 100000 जीवित जन्म में 556 थी, जो 2016 में घटकर प्रति 100000 जीवित जन्म में 130 हो गई है।
- गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के बोझ को कम करने के लिए भारत ने पहले ही देश भर में पांच आम एनसीडी की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए सार्वभौमिक जांच का काम पहले ही शुरू कर दिया है जिनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुख, स्तन एवं गर्भाशय के तीन आम कैंसर शामिल हैं।

15. गिरिंका कार्यक्रम

- रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम
- गिरिंका शब्द का अर्थ है कि 'क्या आप गाय रख सकते हैं'। यह रवांडा में सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जिसके तहत सम्मान और सद्भावना के रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाय भेंट करता है।

- राष्ट्रपति पॉल कागमे ने रवांडा में बच्चों में कुपोषण के खतरनाक स्तर और गरीबी से निपटने तथा पशुधन एवं कृषि को एक साथ लाने के लिए गिरिंका की पहल की थी। यह कार्यक्रम इस अवधारणा पर आधारित है कि गरीबों को दुधारू गाय उपलब्ध कराने से उनकी आजीविका में बदलाव आएगा, गाय के गोबर से तैयार उर्वरकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा इसमें घास और पेड़ लगाए जाने से भूक्षरण में कमी आएगी।
- गिरिंका कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक हजारों लोगों को गायें दी जा चुकी हैं। जून 2016 तक कुल 248,566 गायें गरीब परिवारों को दी गई। इस कार्यक्रम से रवांडा में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और खासतौर से दूध उत्पादन तथा डेरी उत्पाद बढ़ा है, गरीब परिवारों की आय बढ़ी है और कुपोषण के मामले घटे हैं।
- गिरिंका कार्यक्रम ने रवांडा के लोगों के बीच एकता, परस्पर विश्वास और सद्भाव को भी बढ़ाया है क्योंकि इसके तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सम्मान स्वरूप गायें भेंट की जाती है। हालांकि गिरिंका का मुख्य उद्देश्य गाय भेंट करना नहीं है लेकिन समय के साथ यह कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। रवांडा सरकार के एक अधिकारी के अनुसार गिरिंका कार्यक्रम के तहत खासतौर से उन गरीब परिवारों को लक्षित किया गया है जिनके पास गाय नहीं है, लेकिन अपनी जमीन है जिसमें वे गायों के लिए घास उगा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे व्यक्तिगत रूप से या अन्य लोगों के साथ मिलकर गायों को रखने के लिए जगह बना सकें।

THE CORE IAS

16. क्षय रोग और कुष्ठ रोग हेतु रोगियों की जांच

- वैश्विक क्षयरोग रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में क्षयरोग के मामलों की अनुमानित संख्या प्रतिवर्ष प्रतिलाख आबादी पर 211 है जो विश्व में 33वें स्थान पर है। भारत बड़ा एवं अधिक आबादी वाला देश होने के कारण, यहां प्रतिवर्ष क्षयरोग के लगभग 27.8 लाख मामले सामने आते हैं जो कि अधिकतम हैं। भारत वर्ष 2025 तक "इंडिया टी.बी. फ्री" के लिए प्रतिबद्ध है।
- 2016 के दौरान 143 देशों से कुष्ठरोग के कुल 214783 नए मामले सामने आए थे जिनमें से 135485 (63%) मामले भारत से रिपोर्ट किए गए थे। तथापि, भारत में वर्ष 2025 तक कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उपाय किए हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

17. कुपोषण और मोटापे की समस्या

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4 (2015-16), के अनुसार आदिवासी बच्चों में बौनापन, कृश्ता और कम वजन की व्यापकता क्रमश: 43.8%, 27.4% और 45.3% है। ग्रामीण बच्चों की तुलना में शहरी बच्चों में अधिक वजन का अनुपात उच्चतर है, जैसाकि 2.8 प्रतिशत शहरी बच्चे अधिक वजन वाले हैं जबकि ग्रामीण बच्चे 1.8 प्रतिशत अधिक वजन वाले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) बच्चों में व्यापक रूप से फैले हुए कुपोषण का सामना करने के लिए अनेक किफायती कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रहा है, जो निम्नवत् हैं:

- **मां का संपूर्ण दुलार कार्यक्रम (एमएए)** के तहत, स्तनपान को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य देश में स्तनपान कवरेज और उपयुक्त स्तनपान परिपाटियों में सुधार करना है।
- जन-स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) नामक विशेष इकाइयों पर गंभीर अत्यधिक कुपोषण (एसएएम) वाले कमजोर बच्चों का उपचार करना।
- 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बिटामिन ए की पूरकता (वीएएस)।

- जीवन शैली दृष्टिकोण के जरिए कार्यक्रम मोड में बच्चों, व्यस्कों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पूरकता और एनिमिया के उपचार के लिए " राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (एनआईपीआई)"।
- संपूर्ण देश में द्विवार्षिक राष्ट्रीय कृमिनाशी दिवसों का आयोजन किया जाता है, जिसमें एडब्ल्यूसी और स्कूलों के प्लेटफॉर्म के जरिए 1-19 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए एलबेंड़ाजोल गोलियां वितरित करने के लिए एक नियत दिवस कार्यनीति अपनाई जा रही है।
- समकक्ष शिक्षा कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत स्कूली छात्राओं में से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में सूचना प्रदान की जाती है।
  - बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाले माताओं में कुपोषण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस और मां एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने "द ईट राईट मूवमेंट" की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक नमक, चीनी और वसायुक्त खाद्यों की अत्यधिक खपत जैसे जोखिमकारी कारकों का सामना करते हुए मोटापे को कम करना है।
  - स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ खान-पान पर "द येलो बुक" नामक एक पुस्तिका स्कूलों में छात्रों के बीच वितरित करने के लिए राज्यों को भेजी गई है।
- देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित कार्यकलापों के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) अम्ब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आगंनबाड़ी सेवाओं, किशोरियों संबंधी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वियन कर रहा है। मौजूदा योजनाओं के अलावा, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार लाने के लिए हाल ही में पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का कार्यान्वियन किया है।
- इसके अलावा, एमडब्ल्यूसीडी का खाद्य एवं पोषण बोर्ड अपनी क्षेत्रीय फील्ड इकाईयों के जरिए पोषणशिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पोषण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य कर रहा है। स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग, व्यापक जागरूकता अभियनों और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उपयोग के जरिए स्वस्थ संतुलित आहार को महत्व दिया जा रहा है।

THE CORE IAS
GENERAL STUDIES HINDI

18. पोषण अभियान

- भारत सरकार ने पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) की स्थापना की है। इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनु से माननीय प्रधानमंत्री ने किया। टेक्नॉलोजी के माध्यम से कार्यक्रम में लक्षित दृष्टिकोण और मेल-जोल का प्रयास किया गया है ताकि स्टंटिंग के स्तर को घटाने, कुपोषण, अनेमिया तथा जन्म के समय बच्चों के कम वजन की समस्या सुलझाई जा सके और किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर फोकस करके कुपोषण की समस्या का समग्र रूप से समाधान निकाला जा सके।
- पोषण अभियान का उद्देश्य सेवा सुनिश्चित करना तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्रवाई करना, सम्मेलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा अगले कुछ वर्षों में निगरानी के विभिन्न मानकों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है। समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सभी 36 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों तथा 718 जिलों को चरणबद्ध तरीके से 2020 तक कवर किया जाएगा। इससे पहले देश में उच्च सर्वोच्च स्तर पर कभी भी पोषण को इस तरह की प्रमुखता नहीं दी गई।

19. समग्र शिक्षा की शुरूआत

- वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में स्कूली शिक्षा के शिशु विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक बिना वर्गीकरण के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से प्रभावी एक केंद्र

प्रायोजित कार्यक्रम समग्र शिक्षा- स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकरण योजना शुरू की है। इस योजना में पहले से चल रही तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल कर दी गईं हैं।

- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और
- शिक्षक शिक्षा (टीई)

स्कूली शिक्षा क्षेत्र में समग्र शिक्षा अति महत्वपूर्ण योजना है जिसका विस्तार शिशु विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर समावेशी और न्यायसंगत तरीके से सर्वोत्तम शिक्षा सुनिश्चित करना है।

20. साइबर सुरक्षा

वर्तमान में साइबर सुरक्षा पर कोई संयुक्त कार्यकारी समूह नहीं है और साइबर सुरक्षा पर किसी स्वायत निकाय के गठन का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष नहीं हैं।

साइबर अपराध और हैकिंग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न हैं:

1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43ए, 66, 66बी, 66 सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
2. सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
3. राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
4. साइबर सुरक्षा के खतरों के विश्लेषण करने अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारत कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम को नोडल एजेंसी बनाया गया। (इन-सीईआरटी)
5. गृह मंत्रालय ने राज्यों शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किए हैंकेन्द्र/
6. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों के लिए गृह मंत्रालय 'महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम' कार्यक्रम का कार्यान्वियन कर रहा है।

फोन पर होने वाले धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन-किया है। ।

THE CORE IAS

HINDI LITERATURE 500+ QUESTIONS CLASSES

COVERAGE WHOLE SYLLABUS THROUGH QUESTIONS

VISIT :- WWW.THECOREIAS.COM

CALL +91-8800141518//9540297983

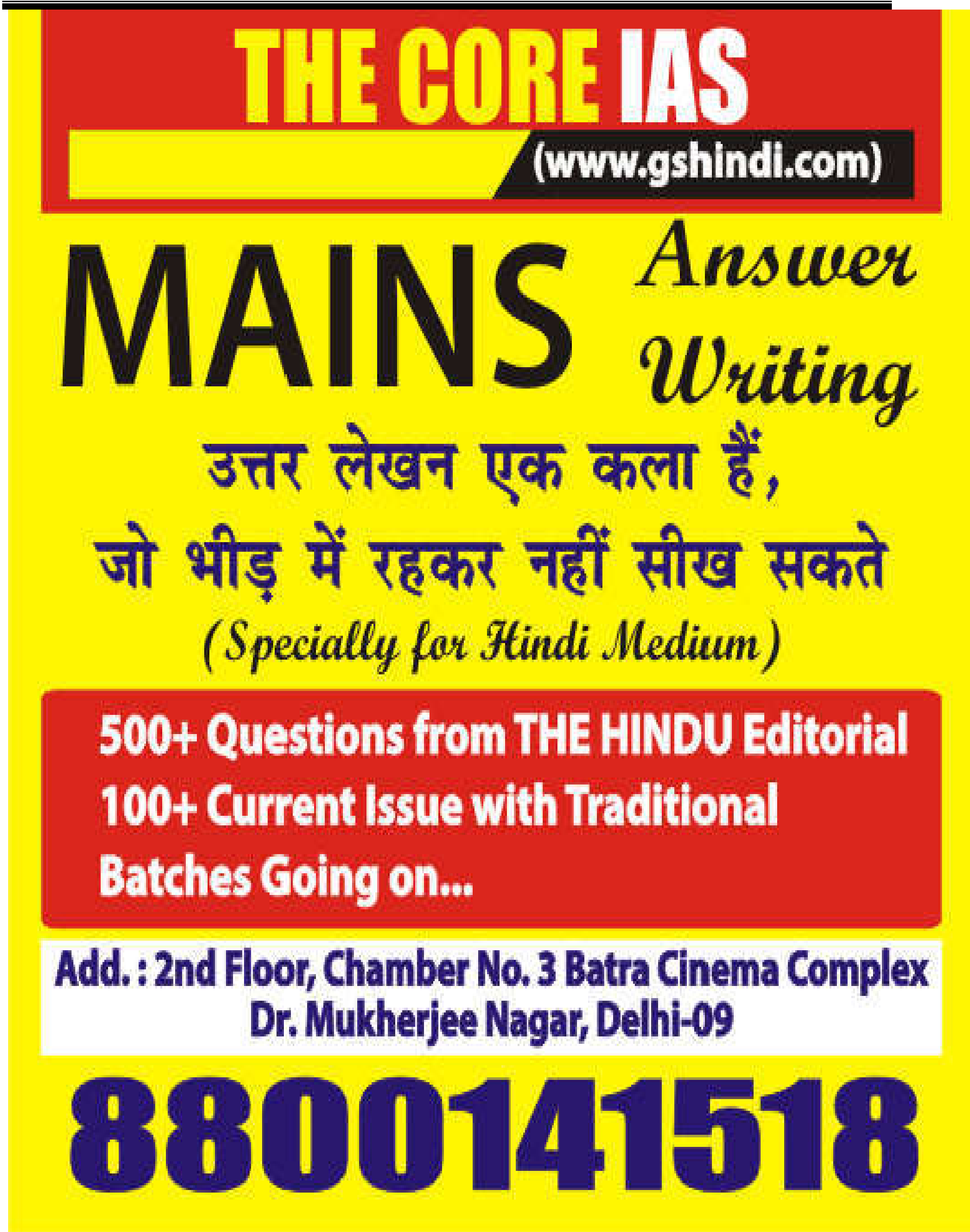
THE CORE IAS
(www.gshindi.com)
MAINS Answer Writing
उत्तर लेखन एक कला हैं,
जो भीड़ में रहकर नहीं सीख सकते
(Specially for Hindi Medium)
500+ Questions from THE HINDU Editorial
100+ Current Issue with Traditional
Batches Going on...
Add. : 2nd Floor, Chamber No. 3 Batra Cinema Complex
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
8800141518

THE CORE IAS

Initiative by GS Hindi

WEEKEND CURRENT AFFAIRS

Batch - Saturday & Sunday

From 16-17 June (8:00 am - 11:30 am)

FAST TRACK MAINS ANSWER WRITING PROGRAMME

Daily 10 Editorial Based Question-Answer

From 18 June (Morning & Evening Batch)

FOUNDATION MAINS ANSWER WRITING PROGRAMME

for Mains 2019

From 18 June - 2 Days / Week (Morning & Evening Batch)

Test Series of G.S & Optional(Geog, History, Hindi,Pol.Sc)

Other Module :

• Environment & Ecology • Society & Social Justice • History • Geog. • Essay

YouTube The Core IAS

Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

8800141518

9540297983

POLITY

1. मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए संसद अलग से कानून बनाए : सुप्रीम कोर्ट

मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गई हत्या) की घटनाओं पर एक बार फिर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को इसे लेकर एक अलग कानून बनाना चाहिए.

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि भीड़ की हिंसा से कड़ाई के साथ निपटा जाना जरूरी है. शीर्ष अदालत के मुताबिक किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.
- सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें तुषार गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला के द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहीं.
- इससे पहले केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि यह कानून-व्यवस्था का मामला है और इस मामले में राज्यों को दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए. अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की है.
- इसके पहले जुलाई में भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि भीड़ द्वारा हो रही हिंसा, चाहे वह गोरक्षा के नाम पर हो रही हो या किसी और वजह से, को रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है. सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों के प्रत्येक जिलों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की बात कही थी. इसके बाद जनवरी में कोर्ट ने तीन राज्य सरकारों से से पूछा था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया. बीते चार महीनों के दौरान सोशल मीडिया पर बच्चा चोरों की अफवाह के बाद देश के अलग-अलग इलाकों में भीड़ 25 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है.

SOCIAL ISSUES

1. शहरों से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के कामकाजी होने का सच

#Satyagriha

THE CORE IAS

Some facts related to labour force Participation

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (एनएसएस) की एक हालिया रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले तथ्य हैं.

- पहला तो यही कि आर्थिक विकास के बावजूद देश की श्रमशक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है.
- 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच देश में लगभग दो करोड़ कामकाजी महिलाओं ने काम छोड़ दिया.
- कुछ समय पहले अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी से भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई थी. उसके अनुसार 2017 के शुरुआती चार महीनों में कामकाजी लोगों में नौ लाख से ज्यादा पुरुष जुड़े, जबकि इसी दौरान कामकाजी महिलाओं की संख्या में 24 लाख की कमी देखी गई. .
- इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी-20 देशों में कामकाजी महिलाओं की संख्या के हिसाब से सिर्फ सऊदी अरब ही भारत से पीछे है.
- 2013 में दक्षिण एशिया में महिला रोजगार के मामले में भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही आगे था.
- भारत में कुल कामकाजी महिलाओं का लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं. इसमें स्थाई और अस्थाई दोनों तरह की कामगार शामिल हैं. गांवों में काम करने वाली लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं. वहीं शहरी इलाकों में काम करने वाली कुल महिलाओं में 28 फीसदी अशिक्षित हैं

कुल कामकाजी महिलाओं में 81 फीसदी ग्रामीण और उसमें भी ज्यादातर महिलाओं का निरक्षर होना दो संभावनाओं की तरफ इशारा करता है. एक, या तो भारत में शिक्षित और सक्षम महिलाओं से ज्यादा निरक्षर और अकुशल महिलाओं की मांग ज्यादा है (क्योंकि वे पुरुषों की अपेक्षा सस्ती श्रमिक होती हैं) या फिर कुशल महिलाओं के पास काम करने के विकल्प निरक्षर महिलाओं से काफी कम हैं.

Marriage & Employment

असल में जो शिक्षित शहरी महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं उन्हें अक्सर ही शादी के बाद काम करने की आजादी नहीं होती. कई बार तो शादी के बाद जगह बदलने के कारण खुद ही उनकी नौकरी छूट जाती है. और बहुत बार ससुराल वालों को ही अपनी बहू का नौकरी करना स्वीकार नहीं होता.

- शादी के बाद काम करने के मामले में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति शहरी महिलाओं से ज्यादा अच्छी है. एनएसएस के शोध के अनुसार शादी ग्रामीण महिलाओं के कामकाजी होने में बाधा नहीं बनती. बल्कि ग्रामीण इलाकों में अविवाहित से ज्यादा विवाहित महिलाएं ही काम करती हैं. जबकि शहरों में आज भी विवाह के बाद तेजी से काम छोड़ने का पुराना चलन ही प्रचलित है.
- लेकिन इन ग्रामीण महिलाओं का काम करना यह कतई नहीं दर्शाता कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं. असल में वे सभी महिलाएं सिर्फ परिवार की आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के लिए ही काम करती हैं. जानकारों का मानना है कि गांवों में महिलाओं का काम करना परिवार की आय बढ़ाने की मजबूरी से जुड़ा है, न कि उनकी काम करने की इच्छा से.
- यह कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त या फिर तकनीकी शिक्षा प्राप्त अधिकांशत महिलाएं आज भी नौकरियां नहीं कर पा रही हैं. भारत में कामकाजी महिलाओं से जुड़ा सबसे क्रूर सच यह है कि यहां सबसे ज्यादा शिक्षित, सक्षम और काम करने की इच्छा रखने वाली महिलाएं तो नौकरियां नहीं कर पा रही हैं. लेकिन परिवार के आर्थिक दबाव के चलते निरक्षर महिलाएं कुछ भी चाहा-अनचाहा, कम पैसे वाला काम करने को विवश हैं.
- यह बेहद अफ़सोस की बात है कि जहां बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लड़कियां टॉप कर रही हैं, वहीं उच्च शिक्षा और नौकरी करने में वे लड़कों/पुरुषों की अपेक्षा जरा भी नहीं टिक रहीं. नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के एक शोध में तो यह भी सामने आया है कि निरक्षर की अपेक्षा हाई स्कूल तक पढ़ी-लिखी लड़कियों को काम करने के ज्यादा अवसर मिलते हों, ऐसा व्यवहार में देखने को नहीं मिलता.
- महिला रोजगार की दर में गिरावट के कई कारण नजर आते हैं. जैसे काम करने लिए घर के मुखिया की अनुमति न मिलना, पत्नी की कमाई को शर्म का विषय मानना, शादी के बाद जगह बदलना या फिर बच्चों या अन्य पारिवारिक वजहों से काम छोड़ना. आश्चर्य का विषय यह है कि विचारों, जीवन शैली, खान-पान, पहनावे आदि हर चीज में आधुनिक होने के बाद भी महिलाओं के कामकाजी होने को लेकर समाज में आज भी पुरानी ही सोच प्रचलित है.
- इन सबसे अलग एक अन्य कारण भी खासतौर से शहरी महिलाओं के काम करने के गिरते प्रतिशत के लिए जिम्मेदार नजर आता है. यह है यौन हिंसा. हालांकि इससे जुड़े कोई साफ आंकड़े नहीं हैं कि बढ़ती हुई यौन हिंसा भी लड़कियों/महिलाओं के काम छोड़ने या काम पर न ही जाने देने का एक बड़ा कारण बन रही है. लेकिन इस संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता, कि सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थल पर बढ़ रही यौन हिंसा की घटनाओं ने शहरी महिलाओं को काम छोड़ने या काम पर न ही जाने के लिए मजबूर जरूर किया है.
- वैसे कार्यस्थल पर यौन शोषण एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसका सामना हर जगह की महिलाओं को करना होता है, फिर चाहे वह गांव हो या शहर या फिर महानगर. लेकिन तुलनात्मक रूप से इस मामले में शहरी महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक अन्य बात यह भी है कि ठीक आर्थिक स्थिति वाले घरों में, कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटना की खबर सुनने के बाद इस बात की प्रबल संभावना होती है कि फिर से महिला को काम पर न ही भेजा जाए. जबकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले घरों में महिलाओं पर कैसी भी असुविधाजनक और अनचाही परिस्थितियों में काम करते जाने का दबाव होता है.

THE CORE IAS

- कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक सोच, महिलाओं की आर्थिक आजादी के प्रति लापरवाही, पुरुषों के महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और यौन हिंसा मिलकर महिलाओं की कामकाजी क्षमता को सबसे ज्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं.

असल में हमारा समाज अभी भी महिलाओं की आर्थिक आजादी के प्रति न तो सचेत है और न ही प्रतिबद्ध. ऐसे में महिला साक्षरता दर में वृद्धि, लड़कियों के साल दर साल स्कूलों में टॉप करने और उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी के कोई मायने नहीं हैं. शिक्षित, सक्षम और हुनरमंद महिलाओं का नौकरी न कर पाना न सिर्फ उनकी आर्थिक आजादी और व्यक्तित्व विकास के लिए एक भारी क्षति है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास की नजर से भी यह बहुत नुकसानदायक है

2. टेक्नॉलजी में लड़कियां

#Navbharat_times

Some facts

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2017-18 बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं का नामांकन चिंताजनक है। भारत में इस तरह के कुल 91 संस्थान हैं।
- फुटवेयर, हिंदी और यूथ डिवेलपमेंट जैसे इक्का-दुक्का संस्थानों को छोड़ दें, तो लगभग सभी की पहचान इंजिनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी है।
- दूसरी तरफ मानविकी और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में उनके एडमिशन की रफ्तार काफी तेज है।
- 2016-17 में 12वीं पास लड़कियों में से 24.5 फीसद ने यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन लिया था, जबकि 2017-18 में उनका हिस्सा बढ़कर 25.4 फीसद हो गया। उनके बरक्स लड़कों के कॉलेज आने की रफ्तार कम है। विश्व बैंक ने इसी महीने बताया है कि पढ़ाई में लड़के-लड़की का फर्क खत्म हो जाए तो किसी की तरक्की की रफ्तार एक तिहाई बढ़ सकती है

जर्मनी में लड़कियों को विज्ञान और गणित जैसे विषयों की ओर आकर्षित करने के लिए कक्षा दस से ही उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं स्कूल में गर्ल्स डे मनाते हैं तो कहीं बाकायदा समर यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। इन उपायों से लड़कियों की आवक इन विषयों में बढ़ रही है।

THE CORE IAS

भारत में भी लड़कियां उच्च शिक्षा में पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा दाखिला ले रही हैं, लेकिन टेक्नॉलजी में उनके आने की रफ्तार कम है।

जर्मनी ने पाया कि उसकी लड़कियां पढ़ने में किसी से कम नहीं हैं, लेकिन विज्ञान और गणित जैसे विषयों से उनकी दूरी रह जाने के चलते उसके उद्योग-धंधों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए उसने बाकायदा अभियान चलाकर इस समस्या को हल किया। हमें भी अपने यहां देर-सबेर ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। वैसे, उच्च शिक्षा में हमारे यहां बड़े नजरिये से देखने पर हालात खराब ही नजर आते हैं।

ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक 2.34 लाख शिक्षकों की कमी है। जो शिक्षक हैं, उनपर काम का लोड बहुत ज्यादा है। यूपी, बिहार और झारखंड में प्रत्येक शिक्षक पर औसतन 50 स्टूडेंट्स हैं, जबकि देश का औसत प्रति शिक्षक 30 छात्रों का है। जर्मनी का सकल नामांकन अनुपात 62 फीसद से ज्यादा है, फिर भी वह अपनी लड़कियों को लेकर इतना चिंतित है। सर्वेक्षण में 2017-18 के लिए हमारा यह अनुपात 25.8 प्रतिशत निकला है तो अपनी स्थिति का अंदाजा हम लगा ही सकते हैं।

3. कट्टरता घटी, संपन्नता बढ़ी

#Nabharat_times

धर्म की तेज होती जकड़बंदी वाले इस दौर में एक स्टडी रिपोर्ट ने नितांत नए निष्कर्ष के साथ सबका ध्यान खींचा है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'साइंस एडवांसेज' में छपी इस खास स्टडी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि जो समाज या देश जितना धर्मनिरपेक्ष होता है, वहां आर्थिक विकास की गति उतनी तेज होती है।

सौ अलग-अलग देशों में पिछली पूरी एक शताब्दी (1900 से 2000) के दौरान समाज में प्रचलित मूल्यों और वहां चली आर्थिक विकास प्रक्रिया के अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट के मुताबिक यह मान्यता ठीक नहीं है कि आर्थिक विकास से धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य मजबूत होते हैं। वास्तव में प्रक्रिया इसके उलट चलती है। धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य मजबूत होने पर समाज में संपन्नता आती है

- रिपोर्ट बताती है कि दोनों में प्रत्यक्ष कार्य-कारण संबंध तो नहीं मिले, लेकिन जैसे-जैसे समाज में सहिष्णुता आती है, वैसे-वैसे आर्थिक गतिविधियों में आबादी के ज्यादा से ज्यादा हिस्से की सहज सहभागिता बढ़ती है। यह सहिष्णुता धर्म तक सीमित नहीं है।
- वैयक्तिक अधिकारों को मान्यता देने वाले मूल्यों के साथ भी यही बात है। जिन समाजों में समलैंगिक संबंध, महिला स्वतंत्रता, विवाह, तलाक आदि मसलों पर जितना उदार रुख प्रचलित होता है वहां आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी उतनी ही सहज गति से आगे बढ़ती है।
- इस अनूठी स्टडी में पाया गया कि धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के साथ किसी देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10 वर्षों में 1000 डॉलर, 20 वर्षों में 2800 डॉलर तो 30 वर्षों में 5000 डॉलर इजाफा होता है। यह स्टडी उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो मानते हैं कि समाज में फैल रही खास धर्म या जाति की श्रेष्ठता की भावना का देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता और ये दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

THE CORE IAS

आज विश्व के एक बड़े हिस्से में इस्लाम का झंडा बुलंद करने के नाम पर जो खौफनाक अभियान चलाया जा रहा है, उसके खतरे सबके सामने हैं। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसकी प्रतिक्रिया में अन्य धर्मों में भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ दिखने लगी है। यह होड़ जारी रही तो 20वीं सदी ने श्रेष्ठ और उदार मूल्यों के सहारे दुनिया को जो संपन्नता दी है, 21वीं सदी पूरी निर्ममता से उसे स्वाहा भी कर सकती है

4. समाज में हिंसा क्यों बढ़ रही है

#Rajasthan_Patrika

हिंसा और भय का रिश्ता एक अर्थ में परस्परपोषी रिश्ता है। दोनों एक-दूसरे को बढ़ाते हैं। हिंसा घटना से पहले हमारे मन में घटित होती है। हिंसा पर मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका वैज्ञानिक (न्यूरोलॉजिकल) अध्ययनों का निष्कर्ष है कि मनुष्य में हिंसा करने का सामथ्र्य तो है, लेकिन यह उसका अन्तर्जात स्वभाव नहीं है। वह किसी-न-किसी प्रकार के बाह्य कारण से उत्तेजित और सक्रिय होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि यदि समाज में हिंसा को उत्तेजित करने वाली परिस्थिति या परिवेश न हो तो ऐसे समाज में हिंसा न्यूनतम होगी – कभी-कभी केवल वैयक्तिक स्तर पर – उसके सामूहिक रूप लेने की सम्भावना शून्यवत होगी। नृतत्वशास्त्री ब्रॉस डी बोंटा ने शोध के दौरान ऐसे सैंतालीस जनजातीय समाज खोजे हैं, जहां हिंसा लगभग अनुपस्थित है। यदि हिंसा मनुष्य के स्वभाव की

अनिवार्यता होती तो ऐसा नहीं हो सकता था – बल्कि अन्य प्रकार के समाजों में भी प्रत्येक व्यक्ति हिंसक होता। लेकिन ऐसा नहीं है।

इसलिए भारतीय समाज में बढ़ती हुई सामूहिक हिंसा को देखते हुए उन स्थितियों का विवेचन जरूरी है, जिनके कारण समाज में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं—कभी गोरक्षा, कभी बच्चा चोरी, कभी राष्ट्रवाद, तो कभी विचारधारा के नाम पर। यह हिंसा अफवाहों के आधार पर निरपराध लोगों पर की गई हिंसा के रूप में भी प्रकट होती है तो कभी जातिगत या सम्प्रदायगत विद्वेष के कारण। वह सदा नियोजित अथवा किसी साजिश का परिणाम ही नहीं होती है – यद्यपि कभी-कभी ऐसा भी होता है।

- आजकल, सामान्यत: सोशल मीडिया को ऐसी सामूहिक हिंसा का जिम्मेदार बताया जाता है और उस पर नियंत्रण की मांग की जाती है—जो एक हद तक सही मानी जा सकती है। लेकिन यदि समाज के मन में धीरे-धीरे हिंसक भावनाएं जमा न होती गई हों तो वे अचानक इस तरह नहीं फूट पड़तीं। किसी भी घटना के कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं, लेकिन अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं वे कारण जो धीरे-धीरे असंतोष और क्रोध पैदा करते रहते हैं और किसी भी छोटी-सी तात्कालिक घटना के बहाने से हिंसक रूप में फूट पड़ते हैं।
- भय और हिंसा का परस्परपोषी रिश्ता है। भारतीय समाज में भय की क्या परिस्थितियां हैं, जो अचानक सामूहिक हिंसा के रूप में फूट पड़ती हैं। सच तो यह है कि औसत भारतवासी व्यवस्था से अपने को न केवल ठगा हुआ महसूस करता और इस कारण एक असुरक्षा-ग्रंथि का शिकार है। बल्कि वह कहीं-न-कहीं इस बात पर विश्वास खोता जा रहा है कि व्यवस्था उसके हितों की, उसके जीवन की रक्षा करने में कोई वास्तविक रुचि रखती है।
- व्यवस्था के प्रति उसका यह अविश्वास उसके भीतर और भय पैदा करता है, जिसके कारण वह अपने द्वारा की जा रही हिंसा को आक्रामक नहीं बल्कि आत्मरक्षात्मक मान कर उसे अपने मन में वैधता दे देता है। फिर मौका मिलते ही किसी छोटी-सी घटना पर भी समूह में शामिल होकर उसका यह भय, यह असुरक्षा-ग्रंथि हिंसक आचरण में तब्दील हो जाती है। वह कानून इसलिए भी समूह के रूप में अपने हाथों में लेने लगता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि व्यवस्था अपराधी को दंडित करेगी या समाज में अपराध नहीं होने देगी। जहां आए दिन राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों की मिलीभगत (नेक्सस) आम चर्चा में हो, वहां औसत आदमी इन्हीं लोगों द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था पर कैसे भरोसा कर सकेगा। राजनीति में अपराधियों के प्रभाव-दबाव के बारे में तो सब जानते ही हैं।
- सामान्य जनता में आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी या अल्प रोजगार, किसानों की आत्महत्याएं, भूमंडलीकरण और मानव-निरपेक्ष तकनीकी आदि समस्याएं और उनके प्रति व्यवस्था की उदासीनता भी एक असुरक्षा-बोध पैदा करती है, जो अंतत: किसी भी बहाने से विस्फोटक रूप धारण कर लेता है। इसलिए, असल समस्या समाज के मन में बढ़ रहा विफलता-बोध, असुरक्षा, व्यवस्था के प्रति अविश्वास आदि वे मुख्य कारण हैं, जो हमें भीतर से हिंसक बनाते हैं और जिसकी अभिव्यक्ति किसी भी बहाने से हो सकती है।

यह ठीक है कि उसे नियंत्रित करने के प्रशासकीय उपाय भी किए ही जाने चाहिए। लेकिन, वह केवल लक्षणों को दबाना ही होगा, बीमारी का वास्तविक उपचार नहीं। कारणों को मिटाए बिना केवल लक्षणों

THE CORE IAS

को दबाना रोग को अंदर ही अंदर बढ़ाता रहता है। वास्तविक उपचार है नीतियों, कार्यक्रमों और आचरण के माध्यम से सुरक्षा और अपने प्रति विश्वास पैदा करना। व्यवस्था और राजनीति के प्रति अविश्वास अंततः लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या हमारी राजनीति और व्यवस्था कभी इसे समझेंगे

सोशल मीडिया, अफवाहें और अकसर राजनीति भी अंदर बढ़ते इस रोग की अभिव्यक्ति साम्प्रदायिकता, हिंसक आंदोलनों, जाति-विद्वेष और समूह-हिंसा के विविध रूपों में इसलिए कर पाते हैं कि रोग समाज के मन में घर कर रहा है। प्रत्येक हिंसा अंततः आत्महिंसा होती है। असुरक्षा-बोध से उपजा भय और विफलता-बोध ही आत्महिंसा के कारण होते हैं जो न केवल व्यक्ति-स्तर पर प्रतिफलित होते हैं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी विस्फोट करते हैं

Geography & Environment

1. **पिघलती बर्फ की तेज हुई तपिश**

Effect of Climate Change:

- ठंडे रहने वाले यूरोपीय देश भी इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं। पिछले पखवाड़े में उत्तरी अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप के तमाम शहरों में पारा काफी चढ़ गया।
- यही नहीं साइबेरिया और आर्कटिक जैसे सर्द इलाकों में तापमान में तेजी दर्ज की गई। उत्तरी अमेरिका के कैलीफोर्निया में 111 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान दर्ज किया गया जो महाद्वीप पर अब तक का सर्वाधिक तापमान था। स्कॉटलैंड का मदरवैल शहर ने भी सबसे ऊंचे तापमान का अनुभव किया। वहां अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक 33.2 डिग्री तापमान रहा।
- ग्लासगो में यह 31.9 डिग्री जा पहुंचा। ओमान में 27 जून को रात में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 2 जुलाई को कनाडा के मांटियाल में रिकार्ड 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो 142 साल का उच्चतम स्तर रहा।
- यह तापमान में बढ़ोतरी का ही नतीजा है कि अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघलने की वजह से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के तकरीबन 84 वैज्ञानिकों के शोध में यह खुलासा हुआ है कि बीते चार सालों में अंटार्कटिका की बर्फ तीन गुना ज्यादा तेज गति से पिघली है। आंकड़े गवाह हैं कि 2012 में जहां औसतन 7600 मीटिक टन बर्फ हर साल पिघल रही थी वहीं अब उसकी रफ्तार 21900 करोड़ मीटिक टन तक पहुंच गई है। बीते 25 वर्षो में तीन लाख करोड़ मीटिक टन से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। वहीं बीते 25 सालों में समुद्र का जलस्तर भी सबसे बहुत तेजी से बढ़ा है

Effect of Climate Change:

- बर्फ पिघलने से समुद्र तटों पर तूफान और बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से चीन के शंघाई से लेकर अमेरिका के मियामी और न्यूयार्क, जापान के ओसाका और ब्राजील के रियो तक के डूबने का खतरा मंडराने लगा है।
- ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड केअध्ययन के अनुसार 2015 में पेरिस में हुए समझौते में तय लक्ष्यांे की समीक्षा के निष्कर्षों से पता चलता है कि वैश्विक तापमान को अगले 100 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देने के लक्ष्य हासिल कर लेने के बावजूद विश्व के संवेदनशील देशों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझना पड़ सकता है। इसके अनुसार आर्कटिक और दक्षिण-पूर्व एशियाई मानसून क्षेत्र जैसे विश्व के क्षेत्रों में अपरिवर्तनीय क्षति की आशंका प्रबल है।
- इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तथा पानी का सबसे ज्यादा खतरा है।

THE CORE IAS

- यही नहीं उत्पादकता पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और पलायन की समस्या सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहां पर औसत बारिश तकरीब 86 मिलीमीटर कम हो गई है और गर्मी और सर्दी के बीच तापमान की खाई भी लगातार घटती जा रही है।
- सर्दियों का मौसम अब सिकुड़ने लगा है जो पहले करीब 90 दिनों का होता था, वह अब घटकर केवल 65-70 दिनों का होकर रह गया है। अब तो अप्रैल में ही गर्मी की तेजी से शुरुआत हो जाती है।

Effect on India

- आइआइएम अहमदाबाद की मानें तो देश के सर्वाधिक प्रभावित दस राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 346 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो मौसम के बदलाव के चलते 2045 तक सूखे के सबसे ज्यादा शिकार होंगे।
- जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते देश में 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट बन गए हैं। यदि विश्व बैंक की मानें तो अब तापमान में बढ़ोतरी के चलते मौसम का पैटर्न बदल रहा है।
- इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इसकी देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह देश की जीडीपी की कुल 2.8 फीसदी के बराबर होगी। जलवायु परिवर्तन के चलते 2050 में 60 करोड़ लोग इसके गंभीर रूप से शिकार होंगे।
- कहने का तात्पर्य यह कि इसके प्रभावों से देश की आधी आबादी का रहन-सहन प्रभावित होगा। यह एक गंभीर समस्या होगी। इससे निपटना आसान नहीं होगा। इसलिए समय रहते कव्छ उपाय करना बेहद आवश्यक होगा।

2. शहरी विकास का बदरंग चेहरा

#Dainik_Jagran

पृथ्वी परिवार पर अस्तित्व का संकट है। दक्षिण एशिया बढ़ते भूमंडलीय ताप का निशाना है। भारत इसी क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है।

THE CORE IAS

Fact related to Climate Change and its effect

- भारत में 2018 की पहली छमाही में ही 50 आंधी तूफान आ चुके हैं। संपदा की भारी क्षति के साथ 500 लोग मारे गए हैं। इसके पहले 2013-17 के मध्य चार साल में 22 तूफान ही आए थे। तूफानों की संख्या बढ़ी है। पिछले चार साल में 22, लेकिन बीते 6 माह में 50। हम तूफानों में घिरे हैं।
- विश्व बैंक की '**दक्षिण एशियाई हॉट स्पॉट: तापमान के प्रभाव और जीवन स्तर का परिवर्तन**' शीर्षक से आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार 'जलवायु परिवर्तन से 2050 तक भारत के जीडीपी को 2.8 प्रतिशत की क्षति हो सकती है।'
- बढ़ते तापमान से सूखा, बाढ़ और तूफान बढ़ सकते हैं। एचएसबीसी बैंक ने भी जलवायु परिवर्तन से भारत को सबसे ज्यादा खतरा बताया था।
- रिपोर्ट में उत्तरी, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया।

बावजूद इसके इसी संवेदनशील क्षेत्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हजारों पेड़ों के कटान की तैयारी है। फिलहाल अदालत ने इन पर रोक लगाई है। वहीं नोएडा में कूड़ा निस्तारण को लेकर जन आंदोलन जारी है। फिर भी हम भारत के लोग अपनी जीवनशैली में बदलाव को तैयार नहीं हैं।

वृक्ष वनस्पतियां पृथ्वी परिवार के अंग हैं। वृक्ष कट रहे हैं। वन क्षेत्र घट रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहले से ही गैस चैंबर बना हुआ है। आश्चर्य है कि इसी क्षेत्र में एक साथ 16,500 पेड़ों को हरी झंडी दिखाई गई।

सभ्यता के विकास के प्रथम चरण से ही नगर मानव जीवन का आकर्षण है। वैदिक काल के बाद का चरण ही सुंदर नगरीय हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन आधुनिक नगर हताश करते हैं। नगर विकास की सुव्यवस्थित नीति बनानी चाहिए। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर आदि महानगरों में शुद्ध वायु नहीं, शिमला में पीने को पानी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन महानगर का जीवन जलहीन हो रहा है। नगर अपने विस्तार में जल, जंगल और जमीन निगल रहे हैं। नगर क्षेत्र विस्तार की पर्यावरण मित्र नीति बनानी चाहिए। नगर की अंतिम सीमा के चारों ओर दो-तीन किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करना चाहिए। पेड़ प्रकृति से ही सभी जीवों के लिए प्राणवायु देते है। कथित विकास गुणात्मक मानवजीवन से दूर है।

जल, वायु, वनस्पति और सभी प्राणी आधुनिक जीवनशैली के हमले के शिकार हैं। 2005 में संयुक्त राष्ट्र का 'सहस्राब्दि पर्यावरण आकलन' आया था। इसके अनुसार:

- 'पृथ्वी के प्राकृतिक घटक अव्यवस्थित हो गए हैं।
- दुनिया की प्रमुख नदियों में पानी की मात्रा घट रही है।'
- भारत की सभी नदियां जलहीन हो रही हैं।
- इसी आकलन में 12 प्रतिशत पक्षी और 25 प्रतिशत स्तनपायी जीव नष्ट होने के कगार पर थे। 2000 में पेरिस में '**अर्थचार्टर कमीशन**' ने पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के 22 सूत्र निकाले थे, लेकिन परिणाम शून्य रहा।

पृथ्वी की ताप बढ़त को अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने पर भी सहमति बनी। बीते 150 वर्ष में 0.80 सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने आगे 2020 तक के उत्र्सजन अनुमान बताए। यह तापवृद्धि 2.0 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। खतरनाक उत्सर्जन बढ़े हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टिकाऊ विकास के 17 सूत्र लक्ष्य तय किए थे। पर्यावरण भी इनमें महत्वपूर्ण सूत्र है। भारत ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर काम किया है तो भी बहुत कुछ अभी शेष है। भारत भूमंडलीय खतरे में है। यही भारत प्राचीन इतिहास में जलवायु और पर्यावरण संरक्षण का संवेदनशील भूखंड था। धरती से लेकर आकाश तक पर्यावरण की शुद्धता भारतीय बेचैनी थी। पृथ्वी और जल को माता बताने की घोषणा ऋग्वैदिक पूर्वजों ने की। उन्होंने पृथ्वी को माता और आकाश को पिता कहा। अथर्ववेद के कवि ऋषि ने 'माता भूमि: पुत्रो अहम् पृथिव्या' की घोषणा की थी। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है।

मूलभूत प्रश्न है कि आखिरकार क्या वन उपवन उजाड़कर, कंक्रीट के महलों से ही जीवन आनंद ले सकते हैं? ऐसे टिकाऊ विकास में हम कहां टिकाऊ हैं। हमारा जीवन रूग्ण क्षणभंगुर और विकास टिकाऊ? दुनिया प्रकृति विरोधी विकास के नाम पर ही नष्ट होने के कगार पर है। विकास की परिभाषा क्या है? क्या हम विषभरी वायु में मर जाने के बदले विकास चाहते हैं? हम विकास के नाम पर औद्योगिक कचरे के आर्सेनिक, लेड आदि रसायनों से भरी जलवायु को पीने के लिए विवश क्यों है?

पृथ्वी असाधारण संरचना है। मैकडनल ने 'वैदिक मिथोलोजी' में पृथ्वी पर यह टिप्पणी की, 'ऋग्वेद के अनुसार वह पर्वतों का भार वहन करती है। वन वृक्षों का आधार है। वही वर्षा करती है।' अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का अनुवाद किया और पृथ्वी सूक्त की प्रशंसा की 'पृथ्वी ऊंची है, ढलान और मैदान भी हैं। यह वनस्पतियों का आधार है।' अथर्वा कहते हैं, 'पृथ्वी का गुण गंध है। यह गंध सबमें है, वनस्पतियों में है। यह पृथ्वी संसार की धारक व संरक्षक है। वह वर्षा देव की पत्नी है। यह विश्वंभरा है। पृथ्वी पर जन्मे सभी प्राणी दीर्घायु रहें। हम पृथ्वी को कष्ट न दें। यह माता है।' पृथ्वी, जल, वनस्पतियां, सभी जीव पर्यावरण चक्र के घटक हैं और जीवन के संरक्षक भी। वायु भी महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में वायु को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म या ईश्वर बताया गया है। वायु से ही आयु है। विश्व पर्यावरण के सूत्र भारत की ही धरती पर खोजे गए थे, लेकिन जनगणमन की प्राचीन संवेदनशीलता खो गई। इसीलिए आज का भारत भूमंडलीय ताप के खतरे में है।

THE CORE IAS

SC & Technology

1. इसरो के एस्ट्रोसेट ने 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा की तस्वीरें लीं

#Satyagriha

भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' ने पृथ्वी से 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा की तस्वीर ली है.

- 'एबेल 2256' नाम की यह आकाशगंगा तीन आकाशगंगाओं के आपस में मिलने से तैयार हो रही है.
- इन तीनों आकाशगंगाओं में भी 500 से अधिक आकाशगंगाएं हैं. ये सब मिलकर पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे से 1,500 गुना ज़्यादा विशाल आकाशगंगा का निर्माण करती हैं.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 'एबेल 2256' की जानकारी और इसकी पराबैंगनी (अल्ट्रावायलट) तस्वीरें जारी की हैं. खगोल विज्ञान के जानकारों के मुताबिक हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिल (स्पाइरल) है और ऐसी आकाशगंगाओं का रंग नीला होता है. ये निरंतर तारों का निर्माण करती हैं. वहीं, 'एबेल 2256' जैसी आकाशगंगाएं अंडाकार होती हैं. लाल रंग से पहचानी जाने वाली इन आकाशगंगाओं में पुराने तारे होते हैं. माना जा रहा है कि इसरो को मिली इस जानकारी से आकाशगंगाओं में होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलेगी.

Security Issues

1. **हिंसक भीड़ से हारता कानून**

What is the Issue: राजस्थान के अलवर जिले में भीड़ के हाथों गो-तस्कर के संदेह में अकबर खान को उस दिन मारा गया जिस दिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भीड़ की हिंसा का मामला उठा था और उसके चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अलग कानून बनाने को कहा था।

Police & Its Insensivity: अकबर की जान बचाई जा सकती थी, यदि अलवर पुलिस ने तत्परता और साथ ही संवेदनशीलता का परिचय दिया होता। पुलिस ने अकबर के पास से मिली गाय को पहले गोशाला पहुंचाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले गई। तब तक देर हो चुकी थी।

No fear of law: जब उसकी पिटाई हो रही थी तो पीटने वाले यह भी कह रहे थे कि विधायक जी हमारे साथ है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं यह कितना सच है और हो सकता है कि इसमें विधायक जी की कोई गलती न हो, लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैंं कि कानून हाथ में लेने अर्थात अकबर खान की जान लेने वाली भीड़ को यह पता था कि इस कृत्य की कोई सजा नहीं मिलने वाली

जब कानून का शासन पंगु हो, जब दंड का भय न हो और जब यह यकीन हो कि हिंसक व्यवहार को सराहा जाएगा तो फिर किसी अकबर को पीट-पीटकर मार देने में कथित लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति दिखाई देने लगती है। नेताओं का दंगे में आरोपित लोगों के घर या जेल जाकर सहानुभूति दिखाना भी इसी कड़ी का हिस्सा जान पड़ता है। जब कानून का शासन पंगु हो, जब दंड का भय न हो और जब यह यकीन हो कि हिंसक व्यवहार को सराहा जाएगा तो फिर किसी अकबर को पीट-पीटकर मार देने में कथित लक्ष्य की त्वरित प्राप्ति दिखाई देने लगती है। नेताओं का दंगे में आरोपित लोगों के घर या जेल जाकर सहानुभूति दिखाना भी इसी कड़ी का हिस्सा जान पड़ता है।

Judicial delay also problem: आखिर उग्र भीड़ को कहीं से तो यह भरोसा रहा होगा कि उसकी गुंडागर्दी का कुछ लोग सीधे या फिर दबे-छिपे समर्थन करेंगे। अगर किसी नेता के संरक्षण-समर्थन का दावा करके सिस्टम को ठेंगा दिखाया जा सकता है तो यह जंगलराज की निशानी है। इस सिस्टम में पुलिस के साथ कानूनी प्रक्रिया भी शामिल है।

THE CORE IAS

संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग...संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना में न तो भीड़ के न्याय के लिए कोई जगह है और न ही उसका परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन करने वाले नेताओं के लिए। इस प्रस्तावना में गाय के नाम पर मनमानी करने और कानून हाथ में लेने वालों के लिए भी कोई जगह नहीं। भारत के लोगों को यह फैसला करने का अधिकार नहीं कि कौन गो तस्कर है और कौन नहीं? उन्हें यह भी अधिकार नहीं कि वे किसी को महज शक के आधार पर घेर कर मारें, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैंं और अब तो उनमें वृद्धि भी देखी जा रही है। दरअसल जब कानून बनाने वाले और उसका अनुपालन करने और कराने वाले एक भाव-भूमि में हों तो संविधान पुनर्परिभाषित होने लगता है। ऐसी हालत में यदि अदालतें भी अपना काम सही ढंग से न करें तो स्थितियां और खराब हो जाती हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसी ही स्थिति नजर आती है।

Tarnish International Image: भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामले दुनिया में देश की बदनामी कराने वाले ही नहीं, आदिम युग की झलक पेश करने वाले हैं। कानून का लचर और निष्प्रभावी शासन देश को उस आदिम सभ्यता में ले जाने वाला है जिससे निकलने में हजारों साल लगे। दरअसल जब कानून प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता और न्यायपालिका भी फैसले करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा देती है तो न्याय मूकदर्शक बनने लग जाता है।

Judicial Guidelines not being implimented:

- पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायलय ने भीड़ की हिंसा के खिलाफ सख्त रुख तो दिखाया, लेकिन भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामले बता रहे हैं कि उसके सख्त रुख का जमीन पर कोई असर नहीं। उसकी ओर से तो ऐसी कोई चेतावनी दी जानी चाहिए थी कि अगर भीड़ की हिंसा के मामले सामने आते है तो यह

मानकर कि प्रशासन असफल रहा, एसपी और डीएम को अगले कुछ साल प्रोन्नति नहीं मिलेगी तो शायद सही संदेश जाता और लोग कानून हाथ में लेने से बचते। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तक भीड़ की हिंसा रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों की बात है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पुलिस सुधार पर 2006 में दिए गए उसके दिशानिर्देशों पर अब तक अमल नहीं हो सका है।

2. भीड़ की भयावह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सरकार को दिशानिर्देश
#Dainik_Jagran
भीड़ के हिंसक व्यवहार के जैसे भयावह मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर हैरानी नहीं कि सरकार इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार करे। बेहतर हो कि यह काम संसद के इसी सत्र में किया जाए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो गया। यह मामला राजनीतिक बढ़त लेने का नहीं, बल्कि एक स्वर से यह संदेश देने का है कि भीड़ की अराजकता स्वीकार नहीं।

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए। जब तक भीड़ की हिंसा संबंधी कानून नहीं बनता तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। यह काम इसलिए पूरी गंभीरता के साथ होना चाहिए, क्योंकि भीड़ की हिंसा के प्रकरण दुनिया में भारत की बदनामी करा रहे है।

- सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यह शुभ संकेत नहीं कि जब ऐसे मामले थमने चाहिए तब वे बढ़ते हुए दिख रहे है। नि:संदेह भीड़ की अराजकता के मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक नई समस्या बनकर उभरा है, लेकिन वाट्सएप सरीखे माध्यमों को दोष देकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती। समस्या की जड़ तक जाने और उसे दूर करने की जरूरत है।
- अपने देश में भीड़ की हिंसा के मामले नए नहीं है। जब कभी कोई संदिग्ध भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है तो आम तौर पर उसकी शामत आ जाती है। कई बार भीड़ तुरंत न्याय करने लग जाती है। भीड़ का यह कथित न्याय अक्सर बर्बर रूप में सामने आता है। हाल के समय में पहले गोरक्षा के नाम पर संदिग्ध या फिर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया फिर बच्चा चोरों को पकड़ने के नाम पर। अज्ञानता, अफवाह के साथ शरारत और वैमनस्य भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

आम तौर पर भीड़ की हिंसा के मामलों में लोगों को उकसाने और बरगलाने वालों की पहचान मुश्किल से ही हो पाती है। एक हकीकत यह भी है कि लोग दोषी की पहचान करने अथवा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए सामने नहीं आते। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर मामलों में दोषी सजा से बच जाते है। जब ऐसा होता है तो जाने-अनजाने उन अराजक तत्वों को बल मिलता है जो कानून हाथ में लेने को आमादा रहते है। किसी संदिग्ध को दोषी मानकर उसे तुरंत सजा देने की प्रवृत्ति के मूल में कानून के शासन के प्रति उपेक्षा भाव तो है ही, लचर कानून एवं व्यवस्था भी है। भीड़ की हिंसा के कई मामलों में यह सामने आया है कि आपराधिक घटनाओं से परेशान लोग पुलिस से मदद की उम्मीद ही छोड़ चुके थे।

स्पष्ट है कि भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के साथ ही कुछ और उपाय भी करने होंगे और सबसे प्रभावी उपाय यह संदेश देना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं और जो भी ऐसा करेगा वह कठोर दंड का भागीदार बनेगा

International Relation
1. म्यांमार के साथ मिल कर चीन एक और आर्थिक गलियारे का निर्माण करेगा

THE CORE IAS

म्यांमार से आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश में चीन, भारत को एक और झटका देने जा रहा है. खबर है कि म्यांमार के साथ मिलकर वह एक आर्थिक गलियारे (इकोनॉमिक कोरिडोर) का निर्माण करेगा. इसे लेकर दोनों देश जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं. एक बार इस परियोजना के शुरू होते ही म्यांमार में चीनी निवेश काफी तेजी से बढ़ेगा. रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की म्यांमार पर पकड़ कमजोर हो सकती है.

- म्यांमार के अधिकारी यू ओंग नैंग ओ ने बताया कि दोनों देश जल्द ही एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे.
- यू ओंग म्यांमार में निवेश और कंपनी प्रशासन महानिदेशक हैं. उन्होंने बताया कि नया समझौता पुराने समझौते को आगे बढ़ाने के तहत उठाया गया कदम होगा. इसके तहत चीन को म्यांमार में बुनियादी और दूरसंचार सुविधाएं देने के अलावा परिवहन और कृषि के क्षेत्र में सुधार करना है.
- हालांकि सूत्रों की मानें तो नए समझौते के पालन में दोनों देशों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. म्यांमार में इस समय कई जातीय समूहों में संघर्ष चल रहा है. वहीं, कई म्यांमारी नागरिक चीन के विरोधी हैं. इसके अलावा म्यांमार को यह डर भी है कि कहीं वह चीनी कर्ज के जाल में फंस न जाए. इसके चलते चीन की आर्थिक सहायता से बनने वाले एक बांध के निर्माण से जुड़ा समझौता भी रद्द हो गया था. म्यांमार वाणिज्य मंडल संघ के उपाध्यक्ष यू माउंग ले की बातों में यह डर देखा जा सकता है. वे कहते हैं, 'म्यांमार (चीन की) वन बेल्ट वन रोड परियोजना से बच नहीं सकता, भले ही उसके कर्ज में डूबने का खतरा हो.'

समझौते के मुताबिक चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन के यूनुन प्रांत को म्यांमार के तीन आर्थिक केंद्रों - मंडाले, यांगून न्यू सिटी और क्यॉपू स्पेशल इकनॉमिक जोन - से जोड़ेगा. गलियारे के बनने के बाद यांगून से म्यांमार के संकटग्रस्त राखाइन प्रांत तक पहुंचने में भी आसानी होगी.

2. ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत से जुड़ी आर्थिक रणनीति जारी की

#Satyagriha

- ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक और कारोबारी संबंध मज़बूत करने के लिए पहली बार आर्थिक रणनीति (इंडिया इकॉनॉमिक स्ट्रेटजी) जारी की है.
- ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने ख़ुद वर्गीज़ को यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी. वर्गीज़ की इस अध्ययन रिपोर्ट में भारत के साथ 10 क्षेत्रों में आर्थिक और व्यावसायिक अवसरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की रणनीति तैयार की गई है. रणनीति को साल 2035 तक की परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. रिपोर्ट में ख़ास तौर पर जोर देकर कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लगभग सात लाख लोगों की भारतीय आबादी इस रणनीति को कारगर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है.
- रिपोर्ट में वर्गीज़ ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए भारत के साथ रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी बताई है. ख़बरों के मुताबिक भारत से संबंधित इस आर्थिक रणनीति को जारी करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेश नीति संबंधी श्वेत पत्र भी जारी किया है. इसमें भारत के साथ रणनीतिक रिश्ते मज़बूत करने के मसले को काफ़ी जगह दी गई है. भारत को ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष रणनीतिक साझीदार बताया गया है.

3. अमेरिकी दबाव और भारत

#Amar_Ujala

अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ संबंध रखे। वह रूस से 4.5 अरब डॉलर की लागत से खरीदे जा रहे विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र के खिलाफ भारत पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दे चुका है। ये प्रतिबंध अमेरिका द्वारा पारित 'अमेरिका के विरोधी-प्रतिस्पर्धियों के प्रतिरोध हेतु प्रतिबंध कानून ' के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि भारत ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करे। इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के प्रति आक्रामक नीति है, जिस कारण उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा पांच अन्य देशों- चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान से परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा तथा बारह साल से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान वायदा किया था कि सत्ता में आने पर वह इस समझौते को रद्द करेंगे। अन्य पांच देशों की असहमति के बावजूद उन्होंने ऐसा कर दिया, जिसके कारण आगामी नवंबर से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।

THE CORE IAS

Response of India

- भारत ने दृढ़तापूर्वक ईरान से अपने परंपरागत सभ्यतामूलक संबंधों को दोहराया है।
- पर संपूर्ण विश्व का आर्थिक व्यवहार डॉलर केंद्रित है। यदि अमेरिका ईरान से हर आर्थिक संबंध को रोकता है, तो क्या भारत के लिए तेहरान से अपना आर्थिक संबंध जारी रखना संभव होगा?
    - सामरिक दृष्टि से ईरान भारत का महत्वपूर्ण देश है। वह भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है।
    - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खतरे के सामने मुंबई और गुजरात को 7,200 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने का मार्ग ईरान के चाबहार, बंदर अब्बास होते हुए अजरबैजान तथा रूस के सेंट पीट्सबर्ग तक पहुंचता है, जो भारत के लिए इतना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है।
    - ईरान शिया देश है और भारत में शियाओं की जनसंख्या करीब साढ़े तीन से चार करोड़ है, जो ईरान के बाद सबसे अधिक है।
    - भारत और ईरान के बीच प्राचीन संबंध रहे हैं। भारतीय भाषाओं पर फारसी का व्यापक प्रभाव है, बल्कि एक प्रदेश पंजाब का नाम भी (पंज+ आब) फारसी से आया बताया जाता है। राजनयिक धर्म का एक ही उद्देश्य होता है-अपने देश का हित। भारत अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए अपने हितों से समझौता क्यों करे और अपनी स्वतंत्र नीति अमेरिकी दबाव में क्यों बदले?
    - प्रधानमंत्री मई, 2016 में ईरान गए थे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पंद्रह साल में पहली अमेरिका यात्रा थी। वहां मोदी ने अफगान राष्ट्रपति की मौजूदगी में चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु समझौते पर दस्तखत किए। इस पर भारत साढ़े आठ करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है और ईरान से अफगान सीमा तक रेल मार्ग भी बना रहा है।
    - कश्मीर मुद्दे पर ईरान से भारत की मतभिन्नता भी है, पर सामरिक रिश्ते आज सब पर भारी पड़ रहे हैं। भारत के ऐसे ही प्रगाढ़ और विश्वसनीय रिश्ते रूस के साथ हैं। आज भी रूस भारत को सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है-भारतीय सैन्य जरूरतों का 68 प्रतिशत रूस पूरी करता है, जबकि अमेरिका (14 प्रतिशत) और इस्राइल (7.2 फीसदी) का नंबर बहुत बाद में आता है। क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के कारण रूस से अपने दशकों पुराने रिश्तों में खटास आने देगा?

THE CORE IAS

सच यह है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संवाद के पचास से ज्यादा मंच हैं। दोनों का आपसी व्यापार 115 अरब डॉलर का है (दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके साथ भारत का व्यापार 84.44 डॉलर का है)। भाषा, लोकतंत्र और साझेदारी के बावजूद अमेरिका कभी रूस की तरह भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं रहा। फिर भी वर्तमान भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया का सामरिक साथ चीन के समक्ष एक अविजेय ध्रुव बनाता है।

इसलिए ट्रंप की सनक भरी उतार-चढ़ाव वाली विदेश नीति के बावजूद भारत को संवेदनशील शक्ति संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।

निक्की हेली ने कहा कि ईरान अगला उत्तर कोरिया होगा। यह अमेरिकी दृष्टि है। भारत की नजर में अगला उत्तर कोरिया पाकिस्तान है, जो भारत पर आतंकी हमले करवाता है, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है और आतंकी सरगना हाफिज सईद को खुलेआम राजनीति में आने देता है। भारतीय दृष्टि से देखा जाए, तो पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो वैश्विक आतंक का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। पर निकी हेली पाकिस्तान पर महज शाब्दिक बयानबाजी की सख्ती को पर्याप्त समझती हैं, जिसका यथार्थ में कोई महत्व नहीं।

Way Forward

भारत की विदेश नीति भारत को ही तय करनी होगी, यह नीति तय करने का अधिकार अमेरिका को नहीं है। अपने मित्र और सहयोगी तय करना हमारा अपना मामला है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का सफल पक्ष यह है कि इस्राइल, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ-जिनके बीच प्रबल शत्रुताएं हैं, भारत के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका अपने हितों के लिए बेशक काम करे, पर भारत अमेरिकी हितों के लिए अपनी विदेश नीति में कभी बदलाव नहीं लाएगा। आने वाले छह महीने हमारी विदेश नीति की दृढ़ता की परीक्षा के होंगे।

अमेरिका अपने सामरिक हितों के लिए विश्व के तानाशाहों, शाही परिवारों, अलोकतांत्रिक एवं अत्यंत मध्ययुगीन मानसिकता के शासकों से अच्छे संबंध बनाकर चलता है। पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता, जो वह ईरान पर करना चाहता है। यही उसका पाखंड है।

4. इतिहास के अहम मोड़ पर ब्रिक्स

#Amar_Ujala

Current Geopolitics

इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक गठबंधन को हिलाकर रख दिया है, जो उसके वैश्विक वर्चस्व का प्रमुख आधार रहा है। ऐसा तब हुआ, जब ट्रंप ने अपने प्रशासन की अवहेलना करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका-चीन के मध्य गहराते व्यापार युद्ध को अमेरिका चौतरफा युद्ध में बदल रहा है, ताकि मेड इन चाइना 2025 की रणनीति के सहारे चीन के प्रमुख औद्योगिक शक्ति बनने के प्रयासों को विफल किया जा सके।

ऐसे में भारत जैसे देशों के लिए यह जरूरी है कि वे खुले अवसरों का लाभ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि दो बड़ी शक्तियों के संघर्ष में उन्हें कोई नुकसान न हो। नई दिल्ली ने अब तक बेहतर कूटनीति का परिचय दिया है- इसने वुहान में चीन से बातचीत की और डोकलाम संकट के दौरान बढ़े अनावश्यक तनाव को कम कर दिया। इसने सोची शिखर सम्मेलन के माध्यम से रूस के साथ अपने खराब होते संबंधों को दुरुस्त किया है और इसकी मजबूत प्रतिबद्धता है कि अमेरिका की धमकी में वह मास्को के साथ वक्त की कसौटी पर परखे हुए हथियार हस्तांतरण संधि को खत्म नहीं करेगा। इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि अमेरिका के साथ भी वह अपने रिश्ते को बरकरार रखेगा, जिसका संकेत आगामी सितंबर में होने वाली “2+2” वार्ता से मिलता है। इसलिए इस शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जोहान्सबर्ग घोषणा या वहां दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, बल्कि चीन के नेता शी जिनपिंग और रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है।

10th Summit of BRICS

THE CORE IAS

यह ब्रिक्स का दसवां शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकार्टेरिनबर्ग में हुआ था। कई मायनों में ब्रिक्स एक कृत्रिम संगठन है और आज भी यह एक समान देशों का संगठन नहीं है। उनमें से दो- चीन और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। ये दोनों देश दुनिया की कुल आबादी का 40 फीसदी और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30 फीसदी हिस्सा घेरते हैं। इन दोनों देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका और यूरोप के सकल घरेलू उत्पाद को टक्कर देता है। चीन और भारत, दोनों तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं और यहां तक कि नकारात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

वर्षों से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिक्स की महत्ता बढ़ी ही है।

- वर्ष 2014 में उभरते देश के विकास एजेंडे को बढ़ावा देने में इसकी गंभीरता के संकेत मिलते हैं, ब्रिक्स ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे विकास बैंकों की तर्ज पर एक नया ब्रिक्स बैंक बनाया।
- 2015 में इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की तर्ज पर आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाई।
- ब्रिक्स का इरादा विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को चुनौती देना नहीं है, बल्कि ब्रिक्स ने यह संकेत दिया है कि वह इन अमेरिकी और जापानी वर्चस्व वाले निकायों के तौर-तरीके से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इसलिए उसका पूरक तैयार कर रहा है। इस अर्थ में एक नई विश्व व्यवस्था का आह्वान करने का उसका इरादा नहीं है, बल्कि मौजूदा में से सर्वोत्तम शर्तों का दोहन करना है।

रूस जैसे देश के लिए, जिसके अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हैं और जो क्रीमिया और यूक्रेन के कारण यूरोपीय देशों से प्रतिबंधित है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेना एक बड़ी बात है, जो यूरोप और मध्य पूर्व में अपने दांव-पेच से अटलांटिक गठबंधन पर दबाव बनाता है।

प्रधानमंत्री ने, जो अगले वर्ष लोकसभा चुनाव का सामना करने वाले हैं, पूरे भारत को एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्हें अमेरिका, चीन और रूस के बीच चल रहे भूराजनीतिक संघर्ष में सुखद परिणाम का भरोसा है। जोहान्सबर्ग के शिखर सम्मेलन में मोदी की भागीदारी सम्मेलन के विषय

के संदर्भ में हुई, जो अफ्रीका से संबंधित है। भारत और चीन, दोनों देश अफ्रीकी देशों को लुभा रहे हैं और मोदी ने जहां युगांडा और रवांडा का दौरा किया, वहीं शी जिनपिंग ने सेनेगल, रवांडा और मॉरिशस का दौरा किया। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और इन देशों के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए जोर डाल रहा है।

संभवतः शिखर सम्मेलन में चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय अमेरिकी व्यापार युद्ध और उसकी संरक्षणवादी नीति होगी। हालांकि भारत ने हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली रूसी एस-400 मिसाइल हासिल करने पर अमेरिकी दबाव को कम करने में सफलता पाई है। फिर भी वह वैश्विक व्यापार युद्ध के व्यापार असर से बचने में सक्षम नहीं होगा, खासकर तब, जब उसे अपने निर्यात को काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, 2020 तक व्यापार युद्ध से दुनिया को दसियों खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।

ब्रिक्स का जोहान्सबर्ग घोषणापत्र मानक नीति पर आधारित था। चीन अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत बयान चाहता था, लेकिन अभी इसने अपना रुख नरम रखा। भारत ब्रिक्स घोषणापत्र को शियामेन घोषणापत्र के अनुरूप बनाना चाहता, जहां पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा का नाम संयुक्त घोषणापत्र में शामिल किया गया था। लेकिन इस बार उनका नाम नहीं था, हालांकि आतंकवाद के खिलाफ काफी मजबूत बयान उसमें है। ईरान के परमाणु मुद्दे से निपटने के लिए ब्रिक्स ने संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) पर समर्थन बढ़ाया है और इस मामले में अमेरिका के बजाय ईरान का समर्थन किया, अमेरिका ने इस समझौते से हाथ खींच लिया है। इसी तरह, इसने विश्व व्यापार संगठन के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था के महत्व को दोहराया है।

5. कहां है डब्ल्यूटीओ?

#Business_satndard

इन दिनों 'कारोबारी जंग' शब्द सुर्खियों में है। सप्ताह दर सप्ताह नए कारोबारी प्रतिबंधों और शुल्क बढ़ाए जाने की घोषणाएं सामने आ रही हैं। इनके प्रतिरोध में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक संगठन आर्थिक मंदी की चेतावनी दे रहे हैं लेकिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रश्न यह है कि इन तमाम बातों के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कहां है? उससे यही अपेक्षा तो की जाती है कि वह वैश्विक व्यापार और उससे जुड़े विवादों के निपटारे के नियम बनाएगा। इसका उत्तर यह है कि उसकी व्यस्तता शीघ्र बढ़ने वाली है। चीन, भारत और अन्य देशों ने अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर शुल्क बढ़ाने को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को वजह बताया गया है। मामला 60 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बाद शुरू होगा। अमेरिका द्वारा अपने कारोबारी कानून के एक अन्य हिस्से में पहली बार शुल्क थोपे गए हैं, उनकी भी परीक्षा होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ को 'आपदा' करार दिया और धमकी दी कि वह अमेरिका को संगठन से बाहर कर लेंगे। उनके कारोबारी कदमों की जांच होनी तो तय है लेकिन वे डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर हों यह आवश्यक नहीं। अब तक जो कदम उठाए गए हैं वे काफी सीमित हैं। ऐसे में काफी हद तक यह संभव है कि डब्ल्यूटीओ एक संपूर्ण कारोबारी जंग को घटित होने से रोक दे। परंतु जोखिम बरकरार है और डब्ल्यूटीओ की सीमाएं उजागर हो रही हैं। वह दोहा दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता को सफलतापूर्वक समाप्त करने में नाकाम रहा। पुराने दौर की वार्ताओं की सफलता के बाद ऐसा होना इस बात का संकेत है कि उसकी एक भूमिका का लगभग अंत हो गया है। वह भूमिका है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की। हाल के वर्षों में उठाए गए अधिकांश कदम डब्ल्यूटीओ के बहुपक्षीय ढांचों से परे रहीं। अधिकांश वार्ताएं द्विपक्षीय रहीं या विविध पक्षों के समझौते।

डब्ल्यूटीओ का दूसरा अहम काम है कारोबारी विवादों का निपटारा। यह काम भी खतरे में नजर आ रहा है। विवादों के लिए उसकी अपील संस्था जल्दी ही निष्क्रिय हो सकती है। उसमें सात सदस्य हैं लेकिन तीन सीट इसलिए खाली हैं क्योंकि अमेरिका ने नई नियुक्तियों को रोक रखा है। अगर मौजूदा क्षमता में और कमी आती है तो इसकी बैठकों के लिए जरूरी कोरम ही पूरा नहीं होगा। यह विवाद निस्तारण प्रक्रिया के खात्मे के समान

THE CORE IAS

होगा। चाहे जो भी हो विवाद निस्तारण की प्रक्रिया में वर्षों का समय लगता है। इस दौरान गैर अनुपालन वाले शुल्क और प्रतिरोध में उठाए गए कदम बरकरार रखते हैं

चीन इस व्यवस्था का लाभ लेकर ऐसे शुल्क लगाता रहता है जिनके बारे में उसे अच्छी तरह पता होता है कि कुछ वर्ष की अदालती कार्यवाही के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु उसे आंतरिक तौर पर तो इनसे लाभ मिल ही जाता है। इसके अलावा सफलतापूर्वक व्यापारिक शिकायत दर्ज करने वाले देश को केवल यह अधिकार मिलता है कि वह नुकसान पहुंचाने वाले देश पर बदले में जुर्मानास्वरूप शुल्क लगा सके। तेजी से बदलते परिदृश्य में जहां शुल्क पहले ही थोपे जा चुके हों, वहां शायद डब्ल्यूटीओ को भी लगता है कि विवाद निस्तारण अपनी भूमिका गंवा चुका है। इस बीच अमेरिका ने रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों पर एकतरफा व्यापारिक तथा अन्य प्रतिबंध थोपे हैं। इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत को ईरान से तेल या रूस से मिसाइल खरीदने में होने वाली दिक्कत। ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है फिर भी यह प्रभावी है। अमेरिका अपनी विशिष्टï स्थिति का लाभ ले रहा है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के वित्त पोषण की तरह यहां भी ट्रंप के पास वजह है।

डब्ल्यूटीओ की अपनी सीमाएं हैं। चीन की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्षों से जारी हैं। जबकि इस बीच अमेरिका की कृषि सब्सिडी आदि के रूप में गलत कारोबारी नीतियां भी जारी हैं। डब्ल्यूटीओ अपने दम पर कदम नहीं उठा सकता। उसे सदस्य राष्ट्रों की पहल की प्रतीक्षा करनी होती है। शायद समग्र समीक्षा का वक्त आ गया है लेकिन सभी क्षेत्रों के अंतरराष्ट्रीय संस्थान इस अनुमान पर चलते हैं कि बड़े देश नियम कायदों से चलेंगे। अब ऐसा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े देशों को परे रखकर बाकी देश नियमों से चलें। जैसे अमेरिका को बाहर रखकर जापान प्रशांत पार साझेदारी पर काम कर रहा है। यह कारगर नहीं होगा क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े कारोबारी देशों के बिना इसका कोई अर्थ नहीं। आसान विकल्प यही होगा कि डब्ल्यूटीओ में सुधार किया जाए और ट्रंप की कुछ शिकायतों की सुनवाई की जाए

Editorial

1. सूचना का अधिकार कानून में प्रस्तावित संशोधन इसकी ताकत खत्म कर सकते हैं

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून, 2005 से जुड़ा संशोधन विधेयक विधेयक के जरिए सरकार सिर्फ यह चाहती है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों (आईसी) की सेवा शर्तों को बदल दिया जाए. सरकार का प्रस्ताव है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होना चाहिए.

- इस संशोधन विधेयक के मुताबिक किसी सूचना अधिकारी का कार्यकाल पूर्व निर्धारित पांच साल होने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा तय होना चाहिए.
- सरकार की दलील है कि वह मूल आरटीआई कानून की एक विसंगति दूर करना चाहती है, जिसके चलते सूचना अधिकारी का पद चुनाव आयुक्त के पद के समतुल्य हो जाता है. सरकार की दलील चाहे जो हो, लेकिन आरटीआई कानून को ये बदलाव काफी हद तक कमजोर कर देंगे
- आरटीआई कानून हर भारतीय को यह अधिकार देता है कि वह देश में किसी भी प्राधिकरण से दस रुपये के भुगतान के साथ सूचना प्राप्त कर सकता है. अगर नागरिकों को सूचना देने में आनाकानी की जाती है तो वे सूचना आयुक्तों के पास अपील कर सकते हैं जो अंतिम अपीलीय अधिकारी होते हैं. और यही वजह है कि इन अधिकारियों की स्वतंत्रता सूचना के अधिकार की ताकत की धुरी है.
- आरटीआई कानून में भी यह कहा गया है कि सूचना अधिकारी बिना किसी दूसरे प्राधिकरण के प्रभाव में आए अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे. लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल के लिए सरकार पर निर्भर करना इस कानून की मूल भावना पर प्रहार करना है.
- आरटीआई से जुड़ा संशोधन विधेयक तैयार करने के दौरान ऐसा भी लगता है कि सरकार उस भावना के विरुद्ध गई है जिसके तहत संसद ने इस कानून को लागू किया था. 2004 में कानून बनने से पहले संसद की जिस स्थाई समिति ने आरटीआई विधेयक का अध्ययन किया था, उसका भी कहना था, 'यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना आयोग और उसके अधिकारी स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकें. और इसलिए यह जरूरी है कि इनका दर्जा चुनाव आयुक्त के समकक्ष रखा जाए.'

THE CORE IAS

वहीं जब इसके मूल विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि उप सूचना आयुक्त सरकार की शर्तों के हिसाब से काम करेंगे, तब संसद की स्थायी समिति ने यह कहते हुए इस प्रावधान को हटाने की सिफारिश की थी कि इससे सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता सीमित हो जाएगी.

आरटीआई एक्ट का मूल मकसद है सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना. यह नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है. हालांकि बीते कुछ समय से यह संबंध गड़बड़ाया हुआ है. इस समय केंद्रीय सूचना आयोग में 23 हजार से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं, लेकिन यहां सूचना आयुक्तों के चार पद खाली हैं. आंध्र प्रदेश में तो फिलहाल एक भी सूचना आयुक्त नहीं है. महाराष्ट्र, जहां 40 हजार से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं, के राज्य सूचना आयोग में भी चार पद खाली हैं. इसी तरह तीस हजार से ज्यादा आवेदन कर्नाटक में भी पेंडिंग हैं और यहां भी सूचना आयुक्तों के चार पद खाली हैं.

जुलाई के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की कमी को 'बहुत ही गंभीर' मसला बताते हुए केंद्र और राज्यों को इन पदों पर नियुक्ति के लिए कहा था. यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ध्यान देने के बजाय आरटीआई एक्ट पर ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आई है जो इस कानून की ताकत को ही हल्का बना सकता है

2. क्यों सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाला कानून खत्म करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे अरसे से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377, जो समलैंगिकता को अपराध ठहराती है, को खत्म करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इसी क्रम में एक याचिका, जो शायद इस मसले पर अंतिम याचिका भी हो सकती है, पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार इस कानून की वैधता का फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ती है. अब सुप्रीम कोर्ट के पास यह मौका है कि वह इस मसले पर दशकों से चली आ रही एक गलती को सुधारे और यह धारा खत्म करे.

THE CORE IAS

Historical Background

- 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस एपी शाह और एस मुरलीधर ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है और जीवन जीने के अधिकार पर बंदिश लगाती है. हाई कोर्ट ने इस तरह से धारा 377 को अप्रभावी बना दिया था.
- हालांकि तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया और इस कानून में संशोधन का फैसला संसद पर छोड़ दिया.

- वहीं अब सरकार ने गेंद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है, जहां इसे होना भी चाहिए. चूंकि संसद में बहुमत का ही दबदबा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तमाम अल्पसंख्यकों जिनमें एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाई-सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) भी शामिल होते हैं, के अधिकारों का सबसे जायज संरक्षक है. हालांकि सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध बताने वाले प्रावधान पर ही फैसला करना चाहिए, इससे जुड़े दूसरे मामलों पर नहीं क्योंकि उनके कई दूरगामी नतीजे हो सकते हैं.

इस हलफनामे के मुताबिक समलैंगिकता को अगर अपराध की श्रेणी से हटाया जाता है तो इसके बाद नागरिक संगठन बनाने का अधिकार या संपत्ति हस्तांतरण जैसे मुद्दों का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार राजनीतिक पहल करेगी.

अगर हम थोड़ा ही पीछे मुड़कर देखें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया था, तब अपने आप ही धारा 377 अप्रभावी हो गई थी क्योंकि सेक्सुअलिटी एक निजी विषय है. वहीं आगे देखें तो समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से बाहर होने के बाद अभिभावक बनने या गोद लेने के अधिकार से जुड़े मसलों और रोजगार और संपत्ति हस्तांतरण जैसे विषयों से जुड़े कई सवाल उठेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह धारा 377 से जुड़ी याचिकाओं से इतर फिलहाल इन मसलों पर कोई सुनवाई नहीं करेगा. हां, अगर संसद इस बीच कोई कानून बना देती है, तब जरूर शीर्ष अदालत को इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने दलील दी थी कि अगर धारा 377 को आज लागू किया जाता तो इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की वजह से असंवैधानिक करार दे दिया जाता. फिलहाल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इस दलील पर अपना फैसला सुनाने तक खुद को सीमित रखने की जरूरत है. यह कोई मुश्किल बात नहीं है और यही वो समय है जब भारत समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले देशों जैसे सऊदी अरब और सोमालिया की श्रेणी से खुद को अलग कर सकता है. इसके साथ ही भारत ब्रिटिश साम्राज्य की एक शर्मसार करने वाली विरासत से भी खुद को मुक्त कर सकता है

3. विधि आयोग की सिफारिश, क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिले

#Satyagriha

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी बनाए जाने की सिफारिश की गई है.

- यह सिफारिश विधि आयोग ने की है.
- एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सट्टेबाजी को रोकने वाला कानून देश में असरदार नहीं साबित हुआ. ऐसे में सट्टेबाजी को श्रेणियों में बांटते हुए आधार या पैन कार्ड के साथ जोड़कर इसे नियमित किए जाने पर विचार किया जा सकता है.
- आयोग की सिफारिश के मुताबिक सट्टा खेलने वाले का आधार या पैन कार्ड इसके साथ लिंक होगा तो सट्टेबाजी को काले धन से दूर रखा जा सकेगा.
- साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसका पूरा लेन-देन नकदी रहित रखा जाएगा. इसके साथ ही विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए उनकी आय के मुताबिक सट्टा खेलने की रकम भी तय की जाएगी. ऐसे लोग जो सरकार से सब्सिडी का लाभ हासिल करते हैं उन्हें सट्टे से दूर रखने की भी सिफारिश की गई है. आयोग का विचार है कि इसे नियमित किए जाने से सरकार को राजस्व के लिहाज से भी फायदा होगा.

हालांकि विधि आयोग के ही एक सदस्य व भारतीय विधि संस्थान के प्रोफेसर एस शिवकुमार ने इस सिफारिश पर अपनी असहमति जताई है. उनका तर्क है कि भारत एक गरीब मुल्क है और ऐसे में सट्टेबाजी को कानूनी जामा पहनाए जाने का यह ठीक समय नहीं है. उनका यह भी मानना है कि सट्टेबाजी को कानूनी बनाए जाने की सिफारिश करते हुए जस्टिस लोढा समिति ने शायद देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर ध्यान नहीं दिया. भारत में सट्टेबाजी को नियमित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को निर्देश दिए थे. देश में सट्टेबाजी को कानूनी बनाने के लिए क्रिकेट से जुड़ी जस्टिस आरएम लोढा समिति ने सिफारिश की थी. इस समिति का मानना था कि सट्टेबाजी को नियमित किए जाने से क्रिकेट के खेल को लाभ पहुंचेगा

4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला - दिल्ली की असली बॉस चुनी हुई सरकार ही है

#Satyagriha

THE CORE IAS

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से जारी अधिकारों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुना दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं और उन्हें कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा.

- इसके साथ पीठ का यह भी कहना था कि सरकार के हर फैसले में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है. लेकिन, कैबिनेट को अपने फैसलों की जानकारी उन्हें देना अनिवार्य है.
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'हमने सभी पहलुओं - संविधान, 239एए की व्याख्या, मंत्रिपरिषद की शक्तियां आदि पर गौर करने के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है.'
- संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए क्योंकि विधायिका के प्रति वे ही जवाबदेह होते हैं. लेकिन, दिल्ली के विशेष दर्जे को देखते हुए संतुलन बनाना भी जरूरी है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि ऐसे में उपराज्यपाल को ये ध्यान रखना चाहिए कि फैसले लेने के लिए कैबिनेट है, वे नहीं.
- खबरों के मुताबिक दो न्यायमूर्तियों का कहना था कि भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था सहित केंद्र का जो विशेष अधिकार है, उसे उनमें ही दखल देना चाहिए. इसके अलावा दिल्ली सरकार को अन्य मामलों में कानून बनाने और प्रशासन को चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए. इन दोनों का यह भी कहना था कि उपराज्यपाल मशीनी तरीके से कैबिनेट के फैसलों को नहीं रोक सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव के कारण फैलने वाली अराजकता को लेकर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसी तरह की अराजकता की कोई जगह नहीं है और दोनों पक्ष इस बात का ध्यान रखें कि छोटे-छोटे मामलों में मतभेद न हों, अगर दोनों की राय में अंतर है तो उपराज्यपाल ऐसे मामले को तुरंत राष्ट्रपति के पास भेजें. अपने फैसले में पांच सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी साफ़ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता.
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों से जुड़े टकराव के इस मामले में बीते साल सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. छह दिसंबर 2017 को इस मामले में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

5. बाजार में दूध के दाम गिरने से देश का किसान परेशान

THE CORE IAS

देश भर में किसान इस समय परेशान हैं। दूध एवं दूध आधारित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि खपत स्थिर बनी हुई है। इससे बाजार में दूध के दाम गिर रहे हैं और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या का उपाय:

- पहला उपाय है कि हम निर्यात बढ़ाएं। सरकार ने इस दिशा में कुछ सार्थक कदम भी उठाए हैं और दुग्ध उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी में वृद्धि की है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इस सब्सिडी के बावजूद न्यूजीलैंड में उत्पादित दूध के पाउडर की तुलना में हमारा दूध पाउडर करीब 20 प्रतिशत ज्यादा महंगा पड़ता है। ऐसे में सब्सिडी में भारी वृद्धि किए बिना यह रास्ता कारगर नहीं होगा।
- दूसरा संभावित उपाय है कि हम दूध के पाउडर के स्थान पर चीज और मक्खन बनाकर उनका निर्यात करें। इसमें भी समस्या यही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीज और मक्खन के दाम भी दूध के दाम के अनुरूप ही गिर रहे हैं। इस तरह चीज और मक्खन निर्यात करने में हमको उतनी ही समस्या आएगी जितनी हम दूध के पाउडर के निर्यात करने में सामना कर रहे हैं।
- तीसरा उपाय है कि मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं के अंतर्गत दूध उपलब्ध कराया जाए। कर्नाटक ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें बच्चों को मध्यान्ह भोजन के साथ दूध भी दिया जा रहा है। यह एक सार्थक कदम है। इस प्रकार के प्रयोग तमाम अन्य देशों में भी हुए हैं, लेकिन हमारा दूध का उत्पादन तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे-जैसे सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी वैसे-वैसे किसान के लिए दूध का उत्पादन लाभप्रद हो जाएगा और वह दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होगा।

हम मध्यान्ह भोजन के रास्ते बढ़े हुए उत्पादन का निरंतर निस्तारण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी है जब मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं के माध्यम से हम दूध की खपत बढ़ाते हैं तो परिवार द्वारा दूध की खरीद भी कम होगी, क्योंकि परिवार को मालूम है कि बच्चे को विद्यालय में दूध उपलब्ध हो रहा है। यदि हम मध्यान्ह भोजन के माध्यम से 100 किलो दूध की खपत करते हैं तो परिवार द्वारा 50 किलो दूध की खपत कम हो सकती है। इस प्रकार ऐसी योजनाओं का प्रभाव कम हो जाता है।

- चौथा उपाय है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ से कहा जाए कि दूध के पाउडर, चीज और मक्खन का बफर स्टॉक अधिक रखे। यहां भी एक मुश्किल यही है कि मक्खन का भंडारण जहां तीन महीने तक और दूध के पाउडर का भंडारण लगभग एक साल तक ही संभव होता है। हमें दूसरे उपाय पर विचार करना चाहिए।

दूध की वर्तमान समस्या को एक और ढंग से देखना चाहिए। हमारा इतिहास बताता है कि अभी तक सरकार की रणनीति है कि कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों का हित किया जाए। पिछले 50 वर्षों में हमारे गांवों में सिंचाई की व्यवस्था में मौलिक सुधार हुआ है। रासायनिक उर्वरक और बिजली उपलब्ध हुई है। उत्पादन बढ़ा है, लेकिन किसानों का अपेक्षित कल्याण नहीं हुआ। कारण यह है कि उत्पादन बढ़ने से किसान का लाभ बढ़ने के स्थान पर उसका नुकसान होता है।

उत्पादन बढ़ने से उपज के दाम गिरते हैं। दाम गिरने का लाभ शहरी उपभोक्ताओं को होता है। ऐसे में किसान के हित को साधने के लिए उत्पादन बढ़ाने की रणनीति बिल्कुल निर्मूल है। हमें इस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसा ऊपर बताया गया है कि अमेरिका जैसे देशों की आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत हो गया है जबकि कृषि का मात्र एक प्रतिशत है। इसकी तुलना में अपने देश में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है और कृषि का हिस्सा अभी भी 18 प्रतिशत है। आने वाले समय में हमारा यह 18 प्रतिशत हिस्सा भी घटता ही जाएगा जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है।

THE CORE IAS

इसलिए कृषि के आधार पर हम अपनी जनता को ऊंची आमदनी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसके स्थान पर हमें प्रयास करना होगा कि हम अपने लोगों को सेवा क्षेत्र से अधिक जोड़ें। आज ऐसे तमाम कार्य हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से गांवों में हो सकते हैं जैसे विदेशी छात्रों को ट्यूशन देना, कंप्यूटर एप बनाना, वेबसाइट की डिजाइनिंग करना इत्यादि। इस प्रकार के कार्यों में अपने ग्रामीण युवाओं को लगाकर उनका दीर्घकालीन हित किया जा सकता है।

6. फेक न्यूज और उसके जाने-अनजाने पहलू

#Business_Standard

अचानक सबकी जुबान पर 'फेक न्यूज' शब्द ने जगह बना ली है। इससे पहले अक्सर जब समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन पर हमें ऐसी कोई चीज देखने को मिलती थी तो हम चकित होकर यही कहते थे कि बात को कितना बढ़ाचढ़ाकर पेश किया गया है! अगर कोई व्यक्ति या संस्थान बार-बार ऐसा दोहराता था तो हम उससे कहते थे कि वह ऐसा प्रोपगंडा थोड़ा कम करे। लेकिन अब उसका स्थान फेक न्यूज ने ले लिया है। फेक न्यूज को लेकर चिंता का स्तर वही है जैसा कि एक जमाने में तपेदिक या चेचक को लेकर होती थी।

यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ? इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आया है जहां कई जानेमाने और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों (और उनके डिजिटल संस्करणों) का यह मानना है कि अगर ऐसी छेड़छाड़ नहीं की गई होती तो अमेरिका डॉनल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति नहीं चुनता क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन्हें पसंद नहीं करता।

क्या फेक न्यूज को लेकर यह आक्रामक सोच और व्यवहार अस्वाभाविक है या यह हमारे समय को दर्शाता है जहां प्रिंट मीडिया और टेलीविजन की प्रकृति ही ऐसी है कि वे मोबाइल/सोशल मीडिया की भड़काऊ प्रस्तुतियों को बढ़ावा देते हैं? आखिरकार सन 1950 के दशक के मध्य में जब टेलीविजन विश्व मंच पर नमूदार हुआ तब भी ऐसी ही बातें की जा रही थीं जैसी आज हो रही हैं। वांस पैकर्ड का द हिडन पर्सुएडर इसका उदाहरण था।

Use to manipulate Individuals

- वांस पैकर्ड को मोटिवेशनल शोध से सख्त चिढ़ थी। उनका मानना था कि विनिर्माता इसका प्रयोग उपभोक्ताओं की कमजोरी का पता लगाने में करते हैं और इसका इस्तेमाल किसी उत्पाद की विशेषताओं के बारे में सचबयानी करने के बजाय उसकी अपील तैयार करने में किया जाता है।

- उनके लिए मार्लबोरो सिगरेट इसका बड़ा उदाहरण थी जिसने अपनी सिगरेट की विशेषताओं के बारे में कोई बात करने के बजाय मर्दानगी को उसके प्रचार का माध्यम बनाया। उसने इसे हमारी छिपी आकांक्षाओं से जोड़कर पेश किया। सन 1956 के राष्ट्रपति चुनाव में फोकस समूहों और मोटिवेशनल शोध की ऐसी तकनीक को लेकर पैकर्ड की नाराजगी काफी हद तक 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही चर्चा की याद दिलाती है जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति चुना गया।

यहीं पर एक नया तकनीकी- वाणिज्यिक खाका नजर आता है। यह एक तरह की चिंता पैदा करता है। सन 1950 के दशक में वांस पैकर्ड का समय ऐसा था जब विज्ञापन एजेंसियां पैदा हुई थीं और उनसे जुड़े लोग दावे करते थे कि उन्हें लोगों को चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करने में ऐसी महारत हासिल है मानो वे ईश्वर हों। आज के दौर में भी अलगोरिदम के तकनीकी जानकार दावा करते हैं कि वे किसी भी पार्टी को वोट दिला सकते हैं या लोगों को चीजें खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

वांस पैकर्ड के युग की नाराजगी और आशंका हमारे समय में पूरी ताकत से इसलिए भी लौट आई है क्योंकि हमारे दौर का इंटरनेट उद्योग अपनी आजीविका विज्ञापन राजस्व से ही जुटा रहा है। एक बार यह बात स्थापित होने के बाद सारा खेल क्लिक पर आकर टिक गया। कुछ इंटरनेट उपक्रमों ने इस उम्मीद में भड़काऊ सुर्खियां लगानी शुरू कर दीं कि उन्हें पढ़कर इंटरनेट उपभोक्ता जिज्ञासावश क्लिक करेंगे और उन्हें राजस्व कमाने का अवसर मिलेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज के विचार के पीछे क्लिक चाहने वालों की अहम भूमिका है।

यह बात भी समझने की है कि फेक न्यूज का तात्पर्य केवल तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना नहीं है। वह तो फेक न्यूज का सबसे सहज स्वरूप है जिसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। नए तरह की फ्रेमिंग में और जोखिम भरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा संकट को आसानी से सरकारी बैंकों के नाकारा प्रबंधकों के सर मढ़ा जा सकता है। इससे सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसे एक और तरीके से पेश किया जा सकता है। इसे भ्रष्ट उद्योगपतियों की वजह से उत्पन्न संकट भी बताया जा सकता है। इससे नए और सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून और जुर्माने की मांग जोर पकड़ेगी।

THE COREIAS

अगर खबरों में बैंकों के निजीकरण वाला पहलू उठाया जाता है और उसे वाम रुझान वाले पत्रकार को दिया जाता है तो यह उसके लिए फेक न्यूज होगी। दूसरी ओर अगर सख्त कानून वाली दलील पर खबर बनाई जाए और उसे मुक्त बाजार के हिमायती समाचार वाचक को सौंपा जाए तो यह उसके लिए फेक न्यूज होगी। फेक न्यूज के कहीं अधिक व्यापक सामाजिक स्तर देखने को मिल सकते हैं। 19वीं सदी के ब्रिटेन की एक मान्यता इसका सटीक उदाहरण है। उस दौर के ब्रिटिश शासक मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने आर्थिक या सामरिक लाभ के लिए काम नहीं करता है बल्कि वह ऐसा इसलिए करता है कि भारत तथा ऐसे ही अन्य देशों में रहने वाले असभ्य लोग अपनी सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए ब्रिटेन उन पर शासन कर उन्हें सभ्य बना रहा। इस तरह औपनिवेशिक शासन को स्वीकार्य बनाने के लिए एक दलील तैयार की गई।

फेक न्यूज जिस गति से प्रसारित होती है वह भी आम जन के बीच बहस का विषय है। इसका एक उदाहरण तो यही है कि भारत में अचानक यह सुनने और पढने को मिल रहा है कि इंटरनेट आधारित मेसेंजर सेवाओं के कारण अचानक देश में बच्चा चोरी की घटनाएं बढने लगी हैं। परंतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प बातें नजर आती हैं। वर्ष 2016 में देश में बच्चों के अगवा होने की 55,000 वारदात दर्ज की गई थीं। यह पिछले वर्ष से 20 फीसदी ज्यादा थी। ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अभियोग साबित करने की दर बहुत धीमी है और मामले वर्षों तक चलते हैं। बच्चों के अपहरण की अधिकतर वारदात हिंदी प्रदेशों, पूर्वी भारत और कर्नाटक में होती हैं। दुख की बात है कि अपहरण की दर बढ़ रही है और इन मामलों में सजा होने की दर कम हो रही है। क्या इन मामलों को कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए या इसका दोष भी इंटरनेट पर डाल दिया जाना चाहिए?

7. अमेरिकी धौंस और ब्रिक्स की भूमिका

#Hindustan

Changing dynamics of world Today

- दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों की भूमिका क्या बदलने वाली है? इस संगठन के सभी सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की गिनती उभरती आर्थिक ताकतों में होती है

और इन्हें आर्थिक उदारीकरण का खासा लाभ भी मिला है। मगर अब अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों की 'संरक्षणवादी नीतियों' का शिकार यही देश सबसे ज्यादा हो रहे हैं। संभवत: इसीलिए ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देश उदारीकरण से इतर नीतियां तलाशने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी नई जगह बनाने पर राजी हुए हैं।

- इस समय दुनिया के कारोबार को संरक्षणवाद और 'ट्रेड वार' खासा प्रभावित कर रहे हैं। खासतौर से संरक्षणवाद कई देशों में जड़े जमाता जा रहा हैं। शरणार्थी समस्या के बाद यूरोप इन नीतियों की ओर बढ़ा था और अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद करने की वकालत की थी। बाद में, अमेरिका ने इसे भरपूर हवा दी, जबकि वह वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का अगुवा देश रहा है। यह सच है कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि किन्हीं उदार आर्थिक नीतियों ने नहीं, बल्कि घरेलू नीतियों ने अमेरिका में रोजगार संकट को बढ़ाया है।
- ट्रेड वार' भी इसी दरम्यान पनपा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क को आर्थिक मुश्किलों से निकालने के लिए चीन के खिलाफ टैरिफ (अतिरिक्त शुल्क) लगाए हैं। चीन भी अपने तईं जवाब दे रहा है और इस मसले को विश्व व्यापार संगठन में ले गया है। फिलहाल तो यह जंग अमेरिका और चीन के बीच सिमटी हुई है, लेकिन इससे हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। चीन के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्क्चंरग) में हमारी भागीदारी कम होने के बाद भी इसकी आंच हम तक पहुंची है। नतीजतन, हमने भी जवाबी शुल्क लगाए हैं और विश्व व्यापार संगठन में अर्जी दी है।

ऐसे में ब्रिक्स देशों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

- अभी तक ये देश वैश्वीकरण से मिलने वाले फायदों का ही गुणा-भाग कर रहे थे। मगर अब जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है, यूरोप की आर्थिक प्रगति ठहर चुकी है, इटली-यूनान जैसे देश मुश्किल हालात में हैं और पश्चिमी देश तमाम तरह की कारोबारी बंदिशें लगा रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स आगे बढ़कर इन चुनौतियों को स्वीकारे और अपने लिए नई राह तलाशे।
- जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में खत्म हुई बैठक में इसी पर सहमति बनी है कि किन-किन देशों पर भरोसा करके ब्रिक्स देश आगे बढ़ें। इसमें सफलता की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि तमाम देशों की सहमति पूर्व में विश्व व्यापार संगठन को लेकर रही है। जलवायु परिवर्तन के मसले पर ही जिस तरह फ्रांस, यूरोप और ब्रिक्स देश आगे बढ़े थे, उससे लगता है कि इस बार भी बात बन जाएगी। हां, यूरोप को साथ लाने की कोशिश हमें छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वह अभी संरक्षणवाद की कितनी भी वकालत क्यों न कर रहा हो?
- जरूरत जल्द से जल्द क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) को मूर्त रूप देने की है। यह 16 देशों (10 आसियान राष्ट्र और छह एशिया-पैसिफिक देश) के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है। इस पर सहमति मिलने के बाद न सिर्फ हमारे व्यापार को नई दिशा मिलेगी, बल्कि कुशल श्रमिक व पेशेवरों को भी रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे। हमारी कोशिश मुक्त व्यापार की संकल्पना को एशिया में साकार करने की भी होनी चाहिए। इससे 'ट्रेड वार' के गति पकड़ने पर हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि हमें यह काम चीन के साथ कोई गुट बनाए बिना करना होगा, वरना लंबी अवधि में यह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।
- चौथी औद्योगिक क्रांति की चर्चा भी ब्रिक्स सम्मेलन की उपलब्धि मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा अपने भाषण में की। अगर ब्रिक्स देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम आने वाले वर्षों में कई सारे बदलाव के गवाह बनेंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में कौशल व डिजिटल विकास का दिमागी शक्ति से मिलन होगा। इसका हमें काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर सर्विस में तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी कई सेवाएं अमेरिकी और पश्चिमी देशों को मिलती रही हैं। मगर जिस तरह से हमारे पेशेवरों के सामने वीजा संबंधी दुश्वारियां खड़ी की गई हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि ब्रिक्स के दूसरे सदस्य देशों या विकासशील मुल्कों के साथ साझेदारी करके हम आगे बढ़ें। ब्रिक्स में इसकी चर्चा होने से भारतीय कंपनियां इस दिशा में सक्रिय हो सकेंगी
- ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद भी एक बड़ा मसला था। वहां आतंकवाद के खिलाफ हरसंभव लड़ाई लड़ने पर भी सहमति बनी है। अभी तक चीन जैसे सदस्य देश पाकिस्तान को मदद देकर परोक्ष रूप से इस लड़ाई में अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा पा रहे थे। मगर जिस तरह से अब बीजिंग पर आतंकी

THE CORE IAS

जमातों के हिमायती होने का आरोप लगने लगा है, मौजूदा तस्वीर बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी सत्ता-परिवर्तन हुआ है। इमरान खान वहां के नए वजीर-ए-आजम बनने वाले हैं। उन्होंने अपने हालिया भाषणों में पाकिस्तान को एक स्वच्छ मुल्क बनाने की बात कही है, जिससे लगता है कि वह आतंकी जमातों के खिलाफ कुछ ठोस काम करेंगे। हालांकि उन्होंने सीधे-सीधे किसी का नाम नहीं लिया है, पर चीन व अन्य देशों से संबंध आगे बढ़ाने के लिए वह दहशतगर्दों पर नकेल लगा सकते हैं।

'बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो' पर सहमति बनना भी गौर करने लायक है। इसके तहत एक-दूसरे देशों की अच्छी आदतों या कार्यक्रमों को अपने यहां उतारने की बात कही गई है। जैसे, भारत से निकला योग दुनिया के तमाम देशों में फैल गया है। अच्छी बात है कि 'नॉलेज शेयरिंग' (ज्ञान साझा करना) की तरफ ब्रिक्स देशों ने गंभीरता दिखाई है। इसकी वकालत भारत हमेशा से करता रहा

ECONOMY

1. **<u>दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत की चुनौतियां ज़रा भी कम नहीं हुई हैं</u>**

#Satyagriha

जुलाई के दूसरे सप्ताह में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के छठे पायदान पर पहुंचने का ऐलान किया. इसके तुरंत बाद केंद्रीय वित्तमंत्री ने दावा किया कि इस साल हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ देगी. अगर ऐसा हुआ तो वह दुनिया में पांचवें नंबर पर पहुंच जाएगी| हालांकि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए कई जानकार उनके इस दावे को सही नहीं मान रहे हैं. आलोचकों के अनुसार अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी भारत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए कि फ्रांस या ब्रिटेन से हमारी आबादी 20 गुनी है जिसके चलते प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा हाल बहुत खराब है. भारत इस मामले में 138वें स्थान पर खड़ा है और श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे देशों से भी वह इस समय काफी पीछे है.

अर्थशास्त्रियों की राय में भारत को खुश तभी होना चाहिए जब उसकी प्रति व्यक्ति आय अभी से काफी ज्यादा हो जाए. इसके लिए हमें अपनी विकास दर को अगले कई सालों तक नौ से 10 फीसदी के बीच रखना होगा. लेकिन उससे पहले हमें कई आर्थिक चुनौतियों से भी निपटना होगा.

THE CORE IAS

क्या है देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियां

कई संस्थाओं और जानकारों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अभी चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े, बैंकों की खराब हालत, बुनियादी संरचनाओं की कमी, अकुशल प्रशासन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है. जानकारों के अनुसार इन बुनियादी समस्याओं से निपटे बिना उसका सही मुकाम तक पहुंचना यानी 10 की विकास दर हासिल करना संभव नहीं है.

1. चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकनॉमिक संकेतक

- अभी हमारे सामने **महंगाई और ब्याज की उच्च दरों**, बढ़े हुए राजकोषीय, राजस्व और चालू खाते के घाटे, अस्थिर रुपया, जीडीपी के 70 फीसदी के बराबर का कर्ज, सब्सिडी का भारी बोझ जैसी कई बड़ी मैक्रोइकनॉमिक चुनौतियां हैं.
- वित्त वर्ष 2017-18 में देश का कुल **राजकोषीय घाटा** 6.6 फीसदी था जिसमें केंद्र का हिस्सा 3.5 फीसदी जबकि राज्यों का 3.1 फीसदी था. हालांकि 2020 के मार्च तक इसके घटकर करीब पांच फीसदी होने की उम्मीद है. अर्थशास्त्रियों के अनुसार बिना इसके घटे विदेशी निवेश और विकास दर का बढ़ना कठिन है.
- उधर पिछले वित्त वर्ष में देश का कुल राजस्व घाटा तीन फीसदी हो गया. इसमें केंद्र का योगदान 2.6 फीसदी का था जबकि राज्यों का 0.4 फीसदी. अनुमान है कि अगले दो साल में ये आंकड़े घटकर 1.8 और 0.2 फीसदी रह जाएंगे. वैसे अर्थशास्त्रियों की राय में राजस्व घाटे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए पर जनता की नाराजगी के चलते मोदी सरकार ऐसा करने के मूड में जरा भी नहीं लगती है.
- इसके साथ ही कच्चे तेल के महंगा होने से अभी वस्तुओं का आयात इसके निर्यात से काफी ज्यादा हो रहा है. इस वजह से होने वाला चालू खाते का घाटा (वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात का अंतर) सबकी चिंताएं बढ़ा रहा है. 2017-18 में यह जीडीपी का 1.9 फीसदी हो गया जबकि इसके साल भर पहले यह केवल 0.6 फीसदी ही था. इसके चलते डॉलर की तुलना में रुपये की मांग अभी कम हो गई है

जिससे रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. अर्थशास्त्रियों की राय में आयात प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सरकार को जल्द ही इस चुनौती से निपटना ही होगा. पर ऐसा होने में कुछ और तिमाही लग सकते हैं.

- इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को कुल विदेशी कर्ज और सब्सिडी को भी काबू में करना होगा.

2. बैंकों का बुरा हाल

- इन दिनों बैंकिंग सेक्टर का फंसा हुए कर्ज लगातार सुर्खियां बना रहा है. आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सहित तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी इसका प्रमुखता से जिक्र किया है. इस साल मार्च तक देश के सभी बैंकों का कुल फंसा हुआ कर्ज 10.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है. कई जानकारों के अनुसार बैंकों का खराब प्रशासन इस समस्या की मूल वजह है और बिना इसे दूर किए बैंकिंग सेक्टर को पटरी पर लाना असंभव है. कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार बैंकिंग सेक्टर के पटरी पर लौटने में अभी कम से कम पांच या छह तिमाही लग सकते हैं. हालांकि कइयों को इसमें उससे भी ज्यादा समय लगने की आशंका है.

3. कमजोर इन्फ्रास्ट्रक्चर

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ महीने पहले सिंगापुर में अपने एक व्याख्यान में कहा कि 'मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून और श्रम कानूनों में कई समस्याएं हैं. सरकार जब तक इन दोनों तरह के कानूनों को उदार और स्पष्ट नहीं बनाती तब तक देश में बुनियादी ढांचे पर निवेश में वृद्धि और इसके तैयार होने में लगने वाले समय और मूल्य में कटौती नहीं हो सकती.'
- उधर अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए देश के बुनियादी ढांचे की सूरत बदलना जरूरी है. और इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार अगले एक दशक में देश को 300 लाख करोड़ रुपये का निवेश चाहिए. यह राशि वर्तमान में देश में हो रहे कुल निवेश (घरेलू और विदेशी मिलाकर) की दो तिहाई होगी. जाहिर सी बात है इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना सरकार के लिए तब तक बिलकुल आसान नहीं होगा जब तक वह रघुराम राजन के बताये राजनीतिक कदमों को नहीं उठाती है.

4. स्वास्थ्य, शिक्षा का खस्ताहाल ढांचा और खराब प्रशासन

अभी हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि सुपरपॉवर बनने के लिए भारत के पास केवल 10—12 साल का वक्त बचा है. इसके अनुसार भारत के मानव संसाधन की हालत बेहद खराब है इसे स्वस्थ, शिक्षित और कुशल बनाने के लिए सरकार को युद्धस्तर पर प्रयास करने की जरूरत है. यानी कि आम लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार को केवल आर्थिक सुधार करके संतुष्ट होने की ही जरूरत नहीं है. बल्कि उसे लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ कुछ अन्य सुधारों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, पुलिस सुधार और राजनीतिक सुधार. हालांकि ऐसा करने के लिए सरकारों की मंशा का साफ होना तो अनिवार्य है ही आर्थिक कोष का होना भी जरूरी है. लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसा किए बिना भारत की अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति आय दोनों के बहुत बेहतर होने की संभावना काफी क्षीण है.

THE CORE IAS

5. बेरोजगारी

जानकारों के अनुसार बिना रोजगार के विकास और इससे जुड़े आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होता. वहीं बेरोजगारों की भरमार से प्रति व्यक्ति आय के में भी खासा इजाफा संभव नहीं हो पाता. पर सवाल है कि रोजगार आखिर बढ़े कैसे, वह भी तब जब अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही हो. ऐसे में अर्थशास्त्रियों की राय है कि मौजूदा चुनौतियों को दूर करके विकास दर को कई सालों तक औसतन नौ से दस फीसदी बनाए रखना होगा. इसके लिए जैसाकि कि हम देख चुके हैं कि बुनियादी ढांचे में मोटा निवेश करना बेहद जरूरी है जोकि अपने आप में ही बेरोजगारी को कम करने वाला होता है. बिना बेरोजगारी की समस्या को हल किये लोगों की औसत आय में इजाफे के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता.

2. व्यापार घाटा पांच साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा, निर्यात में सुधार

भारत का व्यापार घाटा पांच साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार बीते जून में यह 16.6 अरब डॉलर रहा. मई में इसका आंकड़ा 14.62 अरब डॉलर था. इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और कमजोर हो रहे रुपये को माना जा रहा है. भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल

आयात करता है. जून में भारत ने 12.72 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया. मई में यह आंकड़ा 11.5 अरब डॉलर था.
उधर, निर्यात के मामले में इस बार के आंकड़े पहले से बेहतर हैं. इनके मुताबिक देश का निर्यात जून में 17.57 फीसदी बढ़कर 27.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण सहित इंजीनियरिंग से जुड़े सामान के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है.

व्यापार घाटा क्या होता है?

आयात अगर निर्यात से ज्यादा हो तो वह व्यापार घाटा कहलाता है. निर्यात और आयात का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान होता है. आयात में बढ़ोतरी का मतलब है देश से धन का बाहर जाना. इसलिए हर देश की यह कोशिश होती है कि उसका निर्यात उसके अायात के बराबर हो या उससे ज्यादा ही हो.

3. क्यों नहीं थम रहे किसान आंदोलन

#Punjab_Kesari

Growing graph of Farmer's agitation

हाल के वर्षों में किसानों से जुड़े आंदोलनों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2014 में 628, 2015 में 2683 तथा 2016 में इनकी संख्या बढ़ते हुए 4837 तक पहुंच चुकी थी। 2016 में ऐसे आंदोलन सबसे अधिक बिहार (2342), उत्तर प्रदेश (1709), कर्नाटक (231), झारखंड (197), गुजरात (123) में हुए हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी इनसे अछूते नहीं रह सके।
इनमें से कई आंदोलनों ने हिंसक रूप भी लिया जैसा कि गत वर्ष मध्य प्रदेश में देखा गया था।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2016 के मध्य 'किसान संबंधी उपद्रवों' में आठ गुणा वृद्धि हुई है। इन उपद्रवों में भूमि तथा पानी पर विवाद से लेकर मौसम के चलते संसाधनों पर पड़े दबाव से उत्पन्न तनाव भी शामिल हैं। इस वर्ष भी किसान आंदोलनों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं।
- कुछ माह पहले किसानों की ओर से 10 दिनों के लिए शहरों को दूध तथा सब्जियों की आपूर्ति बंद करने का आंदोलन चला था और सब्जी विक्रेता कम कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद गन्ना किसानों ने भी विरोध जताया और हाल ही में महाराष्ट्र में दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर दूध बहा कर विरोध जताया गया

THE CORE IAS

Growing debt on farmers

अब तक की सरकारों की ढिलमुल नीतियों के चलते ही आज देश के आधे किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल 9.02 करोड़ किसान परिवारों में से 4.68 करोड़ किसान परिवार कर्जदार हैं और सबसे अधिक कर्जदार किसान परिवारों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश (79 लाख), महाराष्ट्र (41 लाख), राजस्थान (40 लाख), आंध्र प्रदेश (33 लाख), पश्चिम बंगाल (33 लाख)।
आज के किसान जिन तीन प्रमुख जोखिमों का सामना कर रहे हैं- उनका सीधा संबंध :

- कीमतों की अस्थिरता
- व्यापार नीतियों से किसानों के हितों को पहुंच रही चोट तथा
- कृषि संसाधनों पर पड़ रहे भारी दबाव से है।

भारतीय किसान का सबसे बड़ा जोखिम है **कीमतों में अस्थिरता।** सब्जियों और दालों की कीमतें विशेष रूप से अस्थिर रही हैं। सब्जियों और दालों का अत्यधिक उत्पादन अक्सर उनकी कीमतों को गिरा देता है जिसे लेकर अक्सर विरोध प्रदर्शन होते हैं। सरकार की अनाज खरीद नीति के चलते चावल और गेहूं की कीमतें अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में कम अस्थिर हैं। हालांकि, सभी अनाज उत्पादकों को इस खरीद नीति का भी लाभ नहीं मिल पाता है

न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी राजनीति से सीधा संबंध है जिसमें किसी भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक मूल्य बढ़ाने की नीति नहीं बनाई है। आम तौर पर चुनावों से ठीक पहले बढ़ौतरी होती है। इसके अलावा फसलों की आधिकारिक खरीद मात्रा में बदलाव भी किसानों की आय की अनिश्चितता बढ़ा देते हैं। गेहूं और चावल के

अलावा अन्य फसल उत्पादकों के लिए अनिश्चितता और भी अधिक है क्योंकि राज्यों की ओर से खरीद बेहद कम होती है, भले ही खरीद कीमत 23 प्रमुख फसलों के लिए घोषित की गई हो।
किसानों का दूसरा जोखिम **व्यापार नीतियों** से जुड़ा है। खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों को सीमा में रखने की जरूरत के चलते सरकारें कृषि निर्यात पर प्रतिबंध लगाती रही हैं उससे भी उत्पादकों को चोट पहुंचती है और उनकी आय की अनिश्चितता बढ़ जाती है। भारतीय किसानों के लिए तीसरा सबसे बड़ा जोखिम संसाधनों पर बढ़ रहा दबाव तथा जलवायु परिवर्तन का कृषि पर हो रहा दुष्प्रभाव है। सिंचाई के लिए पानी की कमी तथा वक्त के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। बढ़ते तापमान तथा अनियमित वर्षा के चलते भी किसानों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आसान दरों पर ऋण उपलब्ध न होना किसानों को और हताश कर देता है। किसानों के लिए लागू की गई बीमा योजनाओं की सीमित सफलता के कारण सरकार को फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति का सहारा लेना पड़ा है जो पहले ही बेअसर रही है। ऐसे में लगता यही है कि आने वाले दिनों में भी किसान आंदोलनों में कोई कमी नहीं आएगी

4. औरतों की अदृश्य बेरोजगारी

#Prabhat_Khabar

- आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2016 तक कुल 4.3 लाख नये रोजगारों का ही सृजन हुआ, जो घोषित संख्या का आधा भी नहीं.
- खुद सरकार के 2016 के श्रम आयोग (लेबर ब्यूरो) के आंकड़ों के अनुसार, मनरेगा योजना के तहत पिछले सालों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, जो सुस्त पड़ते शहरी उद्योग जगत और सुखाड़ के मारे ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमाण है. इनमें से भी 1.6 करोड़ आवेदकों को मनरेगा के तहत अनियतकालीन (साल में 120 दिन) काम तक नहीं मिला.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की चर्चित शोध संस्था ई-पॉड (एविडेंस फॉर पॉलिसी डिजाइन) ने भारतीय कामगार भारतीय महिलाओं की स्थिति पर सिकुड़ती शक्ति शोध रपट जारी की है, जिसके मद्देनजर इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं पर (तत्कालीन) मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ध्यान दिलाया और यह दर्ज कराया कि पिछले दशक में संगठित तथा असंगठित, दोनों ही तरह के भारतीय कामगारों में महिलाओं की भागीदारी में लगातार गिरावट आयी है. और 2.5 करोड़ कमासुत महिला कामगार कार्यक्षेत्र से बेदखल हुई हैं. 'बेटी पढ़ाओ' सरीखी योजनाओं से फायदा लेकर बच्चियां स्कूल जरूर जाने लगी हैं, पर स्कूल पास कर लेने से क्या?

THE CORE IAS

संगठित क्षेत्र को उच्च तकनीकी डिग्री और अंग्रेजी जाननेवाले दक्ष हाथ चाहिए. नतीजतन विकासशील देशों के गुट 'ब्रिक्स' में हम महिलाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में सबसे निचली पायदान पर और जी-20 देशों की तालिका में नीचे से दूसरी पायदान पर आ गये हैं

5. म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार के लिए जरूरी व्यापक सुधार

#Business_Standard

बाजार में म्युनिसिपल बॉन्ड की वापसी एक स्वागतयोग्य कदम है। मध्य प्रदेश पिछले दिनों नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को सूचीबद्ध कराने वाला पहला राज्य बना। इंदौर नगर निगम की तरफ से जारी किए गए इन बॉन्ड के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया अच्छी रही। बॉन्ड खरीद के लिए 1.26 गुना अधिक आवेदन मिले जिससे इंदौर नगर निगम को 140 करोड़ रुपये मिल गए। इससे उत्साहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर शहरों के निगम भी इसी राह पर चलते हुए 200-200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेंगे

बैंकों से धन जुटाने की सुस्त रफ्तार को देखते हुए म्युनिसिपल बॉन्ड एक बढ़िया जरिया होगा। मूडीज का भी कहना है कि बहुल-बॉन्ड बाजार सशक्त होने से स्थानीय निकायों की पूंजी का विश्वसनीय प्रवाह हासिल करने की क्षमता में सुधार होगा और उधारी में उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। शहरी स्थानीय निकायों में उधारी जुटाने का प्रत्यक्ष एवं अधिक पारदर्शी मॉडल अपनाने से केंद्र सरकार स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर्ज की बेहतर निगरानी भी कर सकेगा।

सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा?

- भारत के म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार के बारे में व्याप्त निराशावाद की एक वजह यह है कि ऐसे बॉन्ड जून 2017 के बाद से करीब बंद ही हो गए हैं। पिछले साल जून में पुणे ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये धन जुटाया था। उसके बाद हैदराबाद ही इकलौता ऐसा नगर निगम रहा है जिसने फरवरी 2018 में अपने बॉन्ड के जरिये 200 करोड़ रुपये जुटाए थे। असल में भारत में
- अभी तक 14 शहरी निकायों की तरफ से केवल 30 म्युनिसिपल बॉन्ड ही जारी किए गए हैं और इस दौरान केवल 1,500 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं।

इसकी कई वजहें रही हैं।:

- बुनियादी वजह नगर निकाय सुधारों के अमल की धीमी गति रही है। इसके चलते भारत में शहरों के नवीनीकरण की महत्त्वाकांक्षी योजनाएं कमजोर वित्त व्यवस्था की रेतीली जमीन पर ही बनाई जाती रही हैं।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में सभी नगर निगमों की कुल राजस्व प्राप्तियां 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी कम रहने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में नगर निकाय राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों पर अधिक आश्रित होते जा रहे हैं।
- मसलन, बेंगलूरु नगर निगम कुल निर्मित क्षेत्र के केवल एक चौथाई पर ही करारोपण करता है जबकि सूरत केवल 11 फीसदी इमारतों से ही संपत्ति कर की वसूली कर पाता है

अध्ययनों से पता चला है कि नगर निकायों की वित्तीय संरचना में 'अपने राजस्व' की अहमियत कम हुई है, ऐसा नहीं है कि निकायों के केवल अपने राजस्व का हिस्सा घटा है बल्कि अन्य राजस्व घटकों की तुलना में उनकी वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि विभिन्न राज्यों में निकायों को अलग राजकोषीय पहचान बनाए रखने में भी काफी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। निकायों के अपने साधनों से जुटाए राजस्व का मजबूत होना कर्ज जुटाने की अर्हता की एक पूर्व-शर्त है। ऐसे में निकायों के पास स्थानीय करों के संग्रह, उपभोग शुल्क और स्टांप शुल्क जैसे मुश्किल नीतिगत मुद्दों से जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाता है। बॉन्ड निवेशक उस समय तक शहरों में अपने पैसे लगाने से बचना चाहेंगे जब तक उनकी राजस्व स्थिति को लेकर वे आश्वस्त नहीं हो जाते हैं।

म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए आगे की राह निश्चित रूप से कठिन रहेगी। मसलन, क्रिसिल ने बॉन्ड जारी कर पाने की शहरों की तैयारी परखने के सिलसिले में 14 राज्यों में 94 शहरों की क्रेडिट रेटिंग की। उनमें से केवल 55 शहरों को ही निवेश के अनुकूल रेटिंग मिली जबकि बाकी शहर निवेश स्तर से नीचे पाए गए। यह रेटिंग शहरों का सामाजिक एवं आर्थिक विवरण, परिचालन सक्षमता, नीतिगत ढांचा और तात्कालिक वित्तीय आंकड़ों जैसे कई मानदंडों के आधार पर दी गई। मूडीज का कहना है कि यह राजस्व मोर्चे पर निगमों के प्रदर्शन, कर्ज और आकस्मिक देनदारियों के बारे में सीमित जानकारी मुहैया होने का परिणाम है। इस सूची में कमजोर शासन को भी जोड़ लीजिए। आखिरकार, निवेशकों को आश्वस्त होने की जरूरत है कि म्युनिसिपल बॉन्ड का भुगतान करने के लिए निकायों के पास समुचित राजस्व प्रवाह होगा।

THE CORE IAS

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वर्ष 2015 में इस तरह के बॉन्ड जारी करने से जुड़े नियमों को शिथिल किया था लेकिन वित्तीय आंकड़ों की समयबद्ध जानकारी को अनिवार्य भी कर दिया था। यह प्रावधान इसलिए अहम है कि अधिकांश नगर निगम अपने खाते को सार्वजनिक नहीं करते हैं। लेकिन इन नियमों का धीमा अनुपालन न्यूनतम खुलासा मापदंडों का पालन करने में पेश आने वाली अहम चुनौतियों को परिलक्षित करता है। इस प्रावधान को अनिवार्य किए जाने से निवेशक जानकारी संबंधी अवरोधों से निजात पा सकते हैं। अगर शहरी निकाय बॉन्ड नहीं जारी करते हैं तो भी वे कम-से-कम राजकोषीय अनुशासन ला सकेंगे।

खराब रेटिंग वाले नगर निगमों को संयोजित वित्त के माध्यम से बॉन्ड बाजार से जोड़ा जा सकता है। संयोजित वित्त का मतलब है कि खराब रेटिंग वाले कई निकाय एक साथ मिलकर एक बॉन्ड जारी करें और सामूहिक रूप से जुटाए राजस्व से उनका भुगतान करें। निवेशकों को इस बात से राहत महसूस हो सकती है कि राजस्व के कई स्रोत हैं। इन सभी बातों को अंजाम देने के लिए शहरी निकायों को नेताओं के चंगुल से आजाद कराने की जरूरत है। सीधे जनता ही अपने शहर का मेयर चुने और उसका कार्यकाल पांच साल के लिए तय कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। ऐसा मेयर शहरी प्रशासन का निर्विवाद नेता होगा, निगम पार्षदों के समर्थन का मोहताज नहीं.|

7.

THE CORE IAS

www.thecoreias.com

PROPER IAS/ IPS

FAST TRACK EDITORIAL BASED ANSWER WRITING FOR MAINS – 2018
500+ current based Questions
Daily 10Q × 50 days

Limited Seats

Secure 750+ Marks in Mains–2018

THE HINDU WEEKEND CORRELATED CURRENT BATCH SATURDAY & SUNDAY (PRELIMS + CURRENT COVERAGE OF PAPER I, II, III, IV)

1st Batch Full

Admission Open For 2nd Batch

Secure 40+ Question in IAS PT-2019

Like YouTube The Core IAS

Add. : Chamber No. 3, 2nd Floor, Batra Complex, Dr. Mukherjee Nagar

8800141518, 9540297983

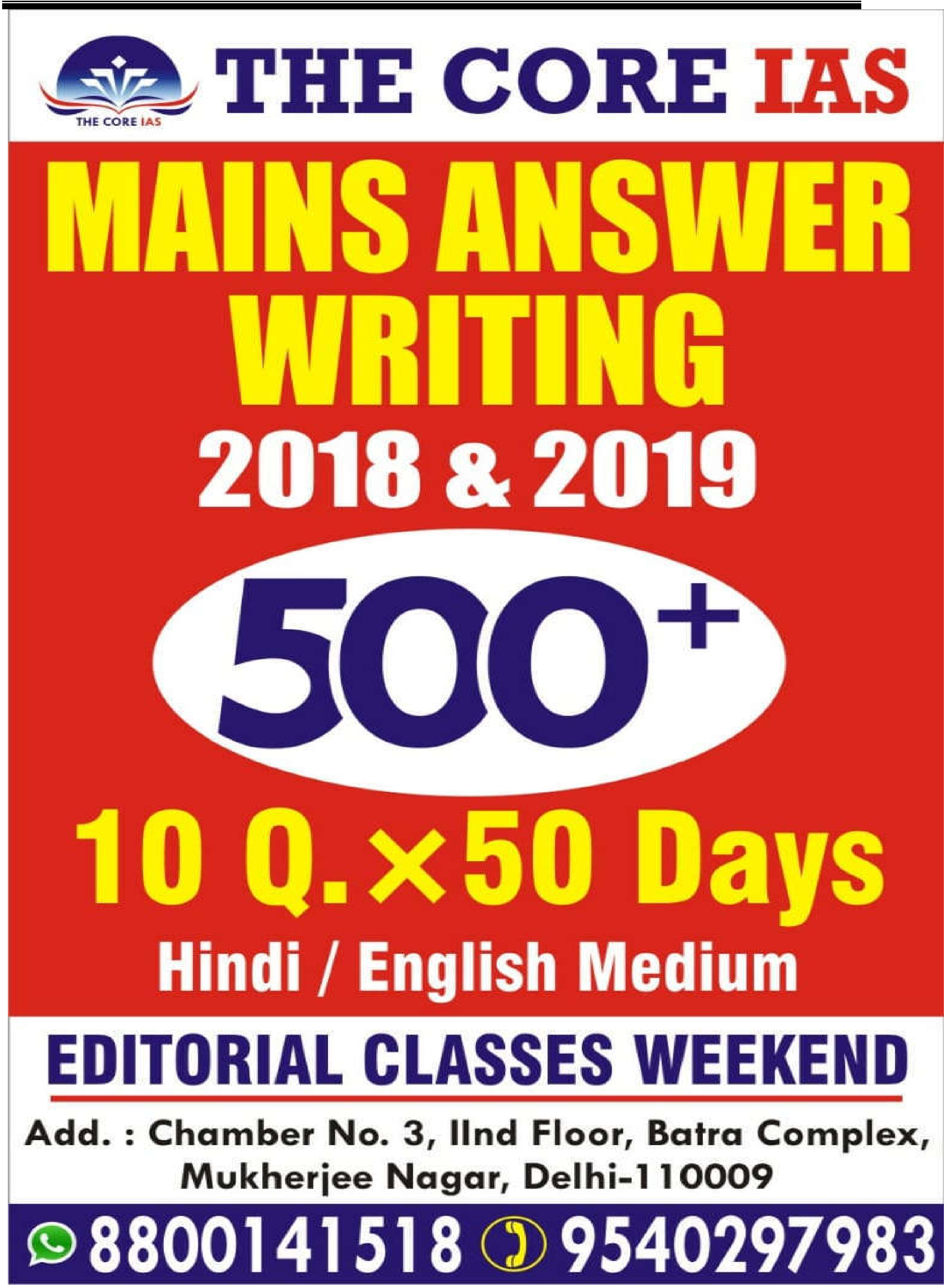
THE CORE IAS
THE CORE IAS
MAINS ANSWER WRITING
2018 & 2019
500+
10 Q.×50 Days
Hindi / English Medium
EDITORIAL CLASSES WEEKEND
Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
8800141518
9540297983

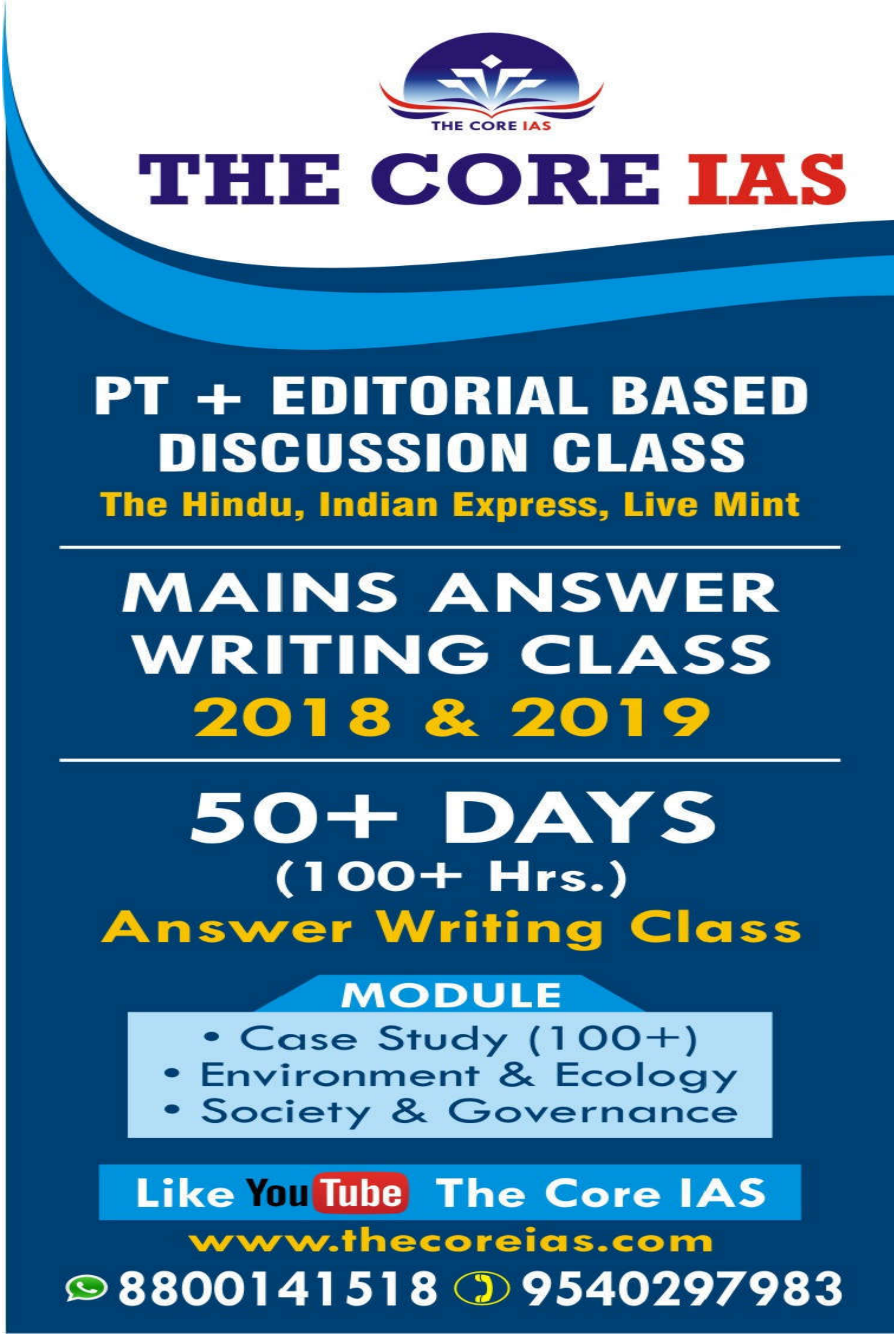
THE CORE IAS
THE CORE IAS
PT + EDITORIAL BASED
DISCUSSION CLASS
The Hindu, Indian Express, Live Mint
MAINS ANSWER
WRITING CLASS
2018 & 2019
50+ DAYS
(100+ Hrs.)
Answer Writing Class
MODULE
• Case Study (100+)
• Environment & Ecology
• Society & Governance
Like YouTube The Core IAS
www.thecoreias.com
8800141518 9540297983

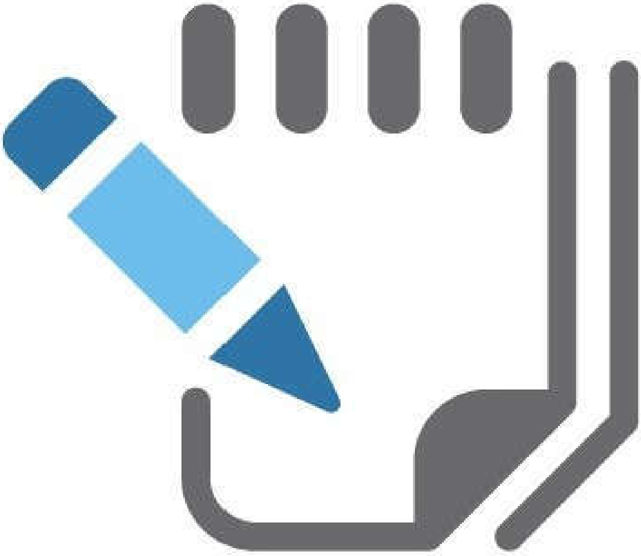

➢

आपके बहुमूल्य और कीमती सुझाव और किसी भी प्रकार की शिकायत या त्रुटि सादर आमंत्रित है आप | हमें www.thecoreias.com or www.gshindi.com पर या https://www.facebook.com/gsforhindi/ या email gs4hindi@gmail.com or justunlearn@gmail.com पर भी सुझाव भेज सकते हैं|

अधिक अद्यतन रहने के लिए आप हमारी AndroidApp भी download कर सकते हैं |

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gshindi.android.testfirebase

GENERAL STUDIES HINDI